खण्ड-251, अंक-4
मंगलवार, 27 श्रावण, शक संवत् 1886
(18 अगस्त, 1964 ई0)

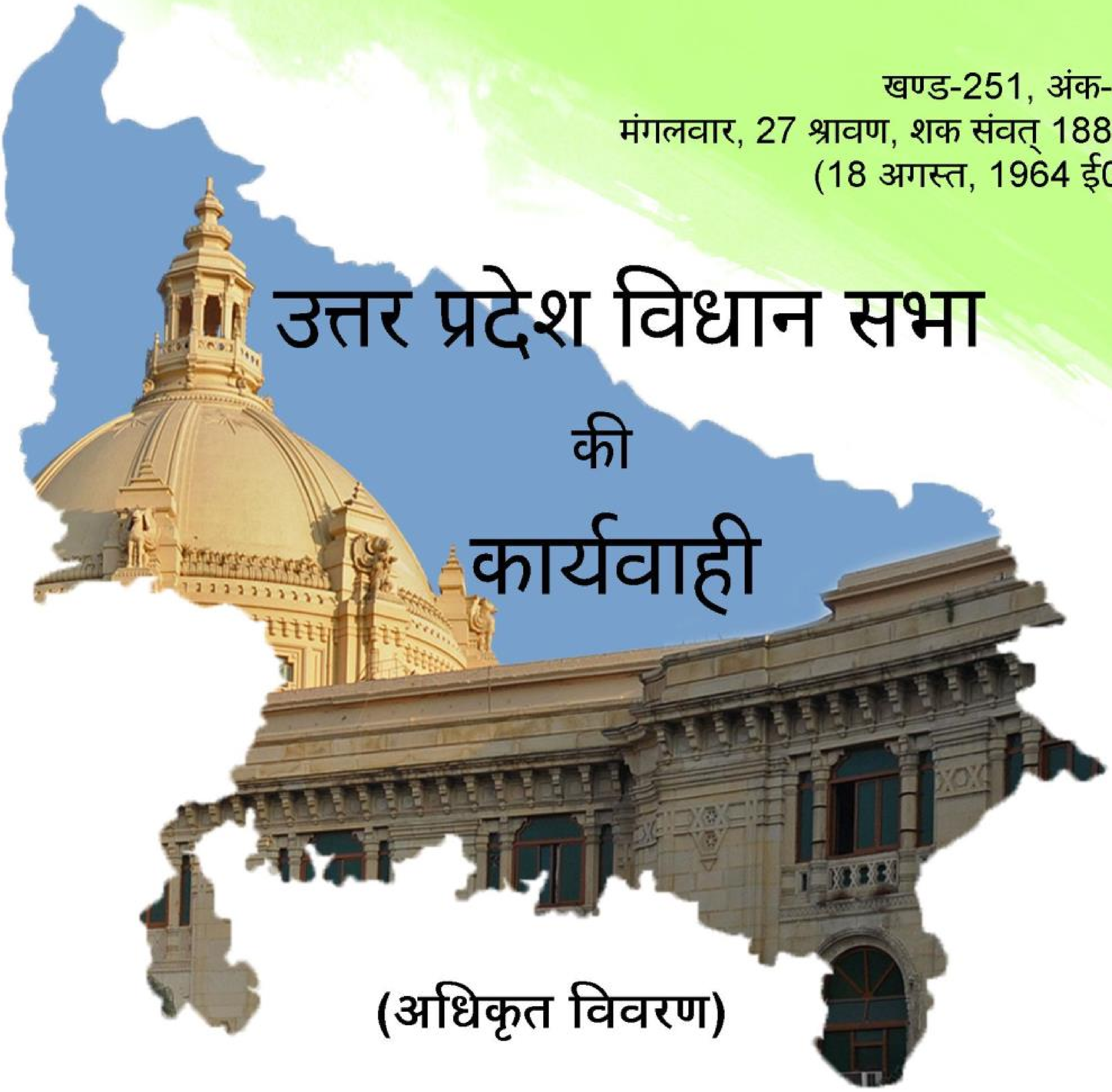

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 251 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२७३–२७६
प्रश्नोत्तर	२७६–२८४
प्रदेश की जनता द्वारा हड़ताल करने के उपलक्ष्य में बधाई देने तथा सदन का उपवेशन स्थगित करने हेतु नियम ११३ के अन्तर्गत प्रस्ताव (अनुज्ञा नहीं दी गई)	२८४–२९०
सदन में विघटित घटनाओं एवं विरोधी पक्ष के सदस्यों के निष्कासन के सम्बन्ध में अंगीकार किए गए तरीके पर आपत्ति	२९०–३०५
इंडियन मिलिटरी एकेडेमी, देहरादून के समीप चीनी तथा देशी कारतूसों के मिलने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (नियम ५२ के अंतर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकृत)	३०५
मुरादाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य के वितरण में अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	३०५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी	३०५–३०६
गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा श्री गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में परिगणित जाति के छात्रों के लिए सुरक्षित स्थानों की सुविधा समाप्त करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	३०६–३०८
सूचना	३०८–३०९
नत्थियां	३१०–३१३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १८ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरणसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री

बैजूराम, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर

रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—शिक्षा मन्त्री श्री कैलाश प्रकाश भी उपस्थित थे।

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १८ अगस्त, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खाण्ड और बूरे के मूल्य में अन्तर

**१—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार बताएगी कि खांड और बूरे के बीच का १० रु० प्रति क्विंटल का अन्तर रखा है उसमें बूरा बनाने का खर्चा शामिल है और यदि है, तो कितना ?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

जी हां। खांड और खांड से बनाए गए बूरे के मूल्यों में जो १० रु० प्रति क्विंटल का अन्तर रक्खा गया है उसमें बूरा बनाने का खर्चा भी शामिल है। बूरा बनाने में साधारणतया २ रु० से ३ रु० मन तक खर्चा होता है।

**२—श्री बेदराम—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बूरा विक्रेताओं को १० रु० प्रति क्विंटल का मार्जिन उत्पादकों के रेट १२७ रुपए प्रति क्विंटल से दिया गया है या Whole sellers के रेट १२९ रु० ५४ पैसे प्रति क्विंटल से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—†

उपरोक्त १० रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि सम्बद्ध वर्ग की खांडसारी के उत्पादक के मूल्य में की गई है।

राशन में कटौती

**३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में १ अगस्त, १९६४ से यह आदेश दिया गया है कि राशन कार्ड पर प्रति यूनिट डेढ़ किलोग्राम राशन किया जायगा ? वर्तमान अन्न संकट के समय इस प्रकार का आदेश देने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। ऐसा आदेश ४ अगस्त, १९६४ को समस्त जिलों को (पहाड़ी जिलों के देहाती क्षेत्रों के अतिरिक्त) प्रदेश में उपलब्ध खाद्यान्न को समुचित रूप से वितरण करने हेतु दिया गया है, जिसके अनुसार राशन कार्ड पर प्रति यूनिट प्रति मास छः किलोग्राम (१ १/२ किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति सप्ताह) राशन मिलेगा।

देहाती क्षेत्र में राशन व्यवस्था

**४—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या कोई ऐसा आदेश गत पखवारे में सरकार ने निकाला है कि देहाती क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह ६ किलो खाद्यान्न दिया जायगा और यह व्यवस्था केवल कुछ ही लोगों के लिए है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

---

†"प्रश्नोत्तर" उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ४२ के अन्तर्गत छापे गये।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

जी हां। उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१०-३१२ पर।)

दैवी आपदाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

**५--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश के वे इलाके जो आज बाढ़ से घिरे हैं और जहां किसानों को खेती से गत बाढ़ और रबी में पाले के कारण क्षति हुई है, उन्हें कौन-सी सुविधा दी जा रही है जिससे उन्हें इस भयंकर अकाल से बचाया जा सके?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

राज्य में कहीं भी भयंकर अकाल की स्थिति नहीं है।

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में अहेतुक सहायता, तकावी, चारा इत्यादि के लिए समुचित आदेश पहले से ही प्रसारित कर दिए गए हैं और आवश्यक धनराशि जिलों को दे दी गयी है। लगान और दूसरे सरकारी धन की वसूली के बारे में भी स्थिति के अनुसार नियमानुकूल आदेश जारी कर दिए गए हैं।

स्थानीय निकाय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

**६--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में अप्रैल, १९६४ के बाद कोई वृद्धि की गई है? यदि हां, तो जिला परिषद् के कर्मचारियों को इससे वंचित कर देने के कौन-कौन से कारण हैं?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)--

केवल नगर महापालिका, कानपुर के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अप्रैल, १९६४ से वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि अप्रैल, १९६४ से नहीं की गई है। अतः जिला परिषदों के कर्मचारियों को इससे वंचित कर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**७--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या यह सही है कि जिला परिषद्, बदायूं ने अभी हाल ही में अपने फण्ड से जिला परिषद्, बदायूं के कर्मचारियों को गरानी भत्ता १० रु० मासिक देना स्वीकार कर लिया है? यदि हां, तो इस दशा में उसकी स्वीकृति देने में सरकार को क्या-क्या कठिनाइयां हैं?

श्री राममूर्ति--

जिला परिषद्, बदायूं से इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। परन्तु जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इस महंगाई भत्ते का भार वहन कर सकें। सामान्य रूप से महंगाई भत्ता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कटरा वजीर खां, आगरा में ट्रक दुर्घटना

*१--श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)--

क्या यह सच है कि २१ जुलाई, १९६४ को प्रातः कटरा वजीर खां, आगरा में एक ट्रक

द्वारा १० व्यक्तियों की कुचल कर हत्या कर दी गई और लगभग २० व्यक्तियों को घायल कर दिया गया ? यदि हां, तो इस ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

इस दुर्घटना के कारण १० व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और ६ व्यक्तियों को चोटें आयीं। पुलिस ने मुकदमा कायम कर दिया है और ट्रक ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है।

*२—श्री बनवारीलाल विप्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो व्यक्ति उक्त घटना में मारे गए उनके परिवारों को क्या वह आर्थिक सहायता दिए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने मृतक व्यक्तियों के बहुत गरीब परिवारों को २०० रुपये की तुरन्त सहायता दी।

इस दुर्घटना से सम्बन्धित व्यक्ति इंश्योरेन्स कम्पनी से क्षति पूर्ति की मांग कर सकते हैं। प्राइवेट ट्रक होने के कारण शासन द्वारा क्षति पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

रुड़की विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति

*३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आजकल रुड़की यूनिवर्सिटी में स्कालरशिप विद्यार्थियों को उनकी योग्यता पर दी जा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि २५ प्रतिशत विद्यार्थियों पर स्कालरशिप यूनिवर्सिटी के नियमानुसार दी जाती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

जी हां।

*४—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि क्या यह भी सत्य है कि कुछ विद्यार्थियों को उनकी योग्यता पर केन्द्रीय सरकार द्वारा भी स्कालरशिप दी जाती है ? क्या यह भी आम शिकायत है कि जिन विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता मिल जाती है उन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा सहायता बन्द कर दी जाती है और उस सहायता को अन्य विद्यार्थियों को न दे कर विश्वविद्यालय अपनी आय में उस रुपये को भी दिखा देता है जिसके कारण बहुत से योग्य विद्यार्थियों का जो निर्धनता के शिकार हैं बची हुयी रुपये की सहायता न मिलने के कारण उनका भविष्य अन्धकार मय हो रहा है ? यदि यह सत्य है तो सरकार द्वारा विद्यार्थियों की भलाई के हेतु क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। विश्वविद्यालय द्वारा स्कालरशिप उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाता है जिन्हें केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं मिली है। इस बची हुयी धनराशि को विश्वविद्यालय द्वारा अपनी आय में दिखलायी जाने वाली बात सत्य नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

[४थे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२—श्री कृष्णानन्दराय—

[४थे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३–४—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

*५–६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[माननीय सदस्यों के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

१८ अगस्त, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये]

*३–४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये]

नलकूप विभाग, मुहम्मदाबाद में निरीक्षण भवन की ईंटें

*५—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष १९६४ में फर्रुखाबाद जिले में निरीक्षण भवन, नलकूप विभाग, मुहम्मदाबाद तथा आसपास के नलकूपों पर जो ईंटें प्रथम श्रेणी की कह कर मंगाई गई हैं वह द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की हैं तथा संख्या में भी अत्यधिक कम है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही सम्बन्धित कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध की है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—निरीक्षण भवन तथा नलकूपों पर जो ईंट मंगायी गयी है वह संख्या में पूरी हैं तथा लगभग सब ही प्रथम श्रेणी की हैं । केवल इनकी दो प्रतिशत ईंट निम्न श्रेणी की है जो अस्वीकार कर दी गई है और ठेकेदार से कहा गया है कि वह उन्हें बदलकर उनके स्थान पर प्रथम श्रेणी की ईंटें दें ।

दूसरा भाग—यह प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी

*६—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को कब तक कौमया (Nationalise) किया जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड को खरीदने के प्रश्न पर परिषद् तथा कम्पनी के बीच विचार-विनिमय हो रहा है ।

शाहजहांपुर बार एसोसिएशन की इमारत

*७—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या यह सही है कि शाहजहांपुर में Bar Association की इमारत बनाने के लिये उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस ने लिखा है ? यदि हां, तो यह कब तक बनाया जा सकेगा ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

जी नहीं ।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

कुरावली बस स्टेशन पर स्थानाभाव

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिले में सरकारी बस स्टेशन, कुरावली पर मुसाफिरों के बैठने को तथा पाखाना-पेशाब के कोई भी कमरे नहीं हैं, और मुसाफिर बरसात में भीगते हुये और धूप में खड़े हो कर टिकट लेते हैं और अभी हाल ही में कई मुसाफिर धूप और गर्मी के कारण बेहोश हो कर जमीन पर गिर चुके हैं ? यदि हां, तो इसका प्रबन्ध कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वहां मुसाफिरों के बैठने के लिये एक कमरा तो है परन्तु किराये की इमारत होने के कारण शौचालय नहीं बनाया जा सका है। टिकट खिड़की पर एक ३ फुट चौड़ा छज्जा है, परन्तु उस से पूरा बचाव नहीं हो पाता है। धूप व गरमी के कारण किसी मुसाफिर के बेहोश होने की सूचना नहीं है। नया बस स्टेशन बनाये जाने के लिये भूमि का इन्तजाम किया जा रहा है जिसके वर्ष १९६५-६६ में बनने की सम्भावना है।

लखनऊ-हरदोई व उन्नाव-हरदोई बस सर्विस

*९—श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-हरदोई व उन्नाव-हरदोई मार्ग पर अलग-अलग कितनी-कितनी प्राइवेट बसें चलती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

लखनऊ-हरदोई व उन्नाव-हरदोई मार्गों पर क्रमशः ३३ व २१ प्राइवेट बसें चलती हैं।

*१०—श्री भोखालाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त दोनों मार्गों पर राजकीय बसें चलाने का सरकार ने कोई निश्चय किया है ? यदि हां, तो यह बसें कब से चलना शुरू होंगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। कानूनी कार्यवाही हो रही है। निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

*११—श्री भोखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ-हरदोई मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों के परमिट इस समय किन-किन व्यक्तियों के नाम हैं और उनमें से कितने लोग अपनी निजी गाड़ियां चला रहे हैं और कितने लोगों ने अपने परमिट किराये पर उठा रखे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस प्रश्न के प्रथम भाग से सम्बन्धित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी परमिट होल्डर्स अपनी गाड़ियां चला रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१३ पर)।

सिंचाई क्षेत्र, गोरखपुर के सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर के मकानात

*१२—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, गोरखपुर डिवीजन के मकानात दिल्ली, गाजियाबाद और लखनऊ में बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की सोर्स आफ इनकम क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं ।

*१३-१४--श्री कमलासिंह यादव--

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

नजीबाबाद तहसील में नलकूप व मालन नदी का बांध

*१५--श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर की नजीबाबाद तहसील में रेलवे लाइन के उत्तर में ट्यूबवेल बनाने के लिये रुपया क्यों नहीं भेजा जाता है ? नजीबाबाद तहसील में कौन-कौन सी शुगर मिलों के एरिया में ट्यूबवेल नहीं हैं और उनके एरिया क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--

जिला बिजनौर की नजीबाबाद तहसील में रेलवे लाइन के उत्तर में भू-स्तर नलकूप निर्माण के लिये विशेष उपयुक्त नहीं पाया गया । फिर भी यहां पर नलकूप बनाने के लिये कोशिश करने का विचार है । इस उद्देश्य से एक नलकूप किरतपुर-नजीबाबाद रोड पर और एक नलकूप नजीबाबाद कोतवाली रोड पर अब तक रिग मशीन द्वारा बनाये जा रहे हैं और यदि यह सफल हो गये तो उत्तरी क्षेत्र में भी प्रयत्न किया जायेगा ।

नजीबाबाद तहसील में लक्सर, बिजनौर तथा सिवहारा शुगर मिलों का 'रिजर्व्ड एरिया' आता है और तीनों मिलों के रेलवे लाइन के दक्षिण भाग में नलकूप हैं । रेलवे लाइन के उत्तरी भाग में, जहां पर केवल एक नलकूप है, इन मिलों का एरिया निम्नलिखित है--

१--लक्सर शुगर मिल	..	लगभग ८ वर्ग मील
२--बिजनौर	..	लगभग ६ वर्ग मील
३--सिवहारा	..	लगभग ३० वर्ग मील

*१६--श्री श्रीराम--

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष १९६४-६५ में किस-किस शुगर मिल एरिया में कितने-कितने ट्यूबवेल लगाने के लिये रुपया भेजा गया है ?

श्री गिरधारीलाल--

इस वर्ष (१९६४-६५) में जिला बिजनौर की सिवहारा तथा धामपुर चीनी मिलों के क्षेत्र में क्रमशः १२ तथा ११ नलकूप लगाने का प्रस्ताव है और तदनुसार धन का प्राविधान किया गया है ।

*१७--श्री श्रीराम--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर की नजीबाबाद तहसील में मालन नदी डैम तथा खासन नदी डैम का निर्माण क्यों रोक दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल--

मालन डैम का निर्माण-कार्य योजना की लागत में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप उसके अलाभकर (unremunerative) हो जाने के कारण रोक दिया गया । जिला बिजनौर की नजीबाबाद तहसील में 'खासन नदी डैम' नाम की कोई योजना ही नहीं है ।

उन्नाव जिले में राजनीतिक पेन्शन

*१८—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों में से जो पेंशन पा रहे हैं कौन कितनी बार स्वातन्त्र्य युद्ध के आन्दोलन में जेल गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वांछित सूचनाओं को एकत्रित करने में जो श्रम एवं समय लगेगा, वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुये उचित न होगा ।

*१९–२१—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) तथा श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२३–२४—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) तथा श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[५ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५–२७—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

*२८–३०—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

*३१—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३२–३३—श्री कल्पनाथसिंह—

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४–३५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६–३८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी से ओवरसियरों का स्थानान्तरण

*३९—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी से १६ ओवरसियरों में से १२ ओवरसियरों का स्थानान्तरण हाल में एक साथ कर दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । नलकूप प्रखण्ड, वाराणसी के १७ ओवरसियरों में से केवल २ ओवरसियरों का स्थानान्तरण प्रखण्ड के बाहर किया गया है । ७ ओवरसियरों का स्थानान्तरण प्रखण्ड के अन्तर्गत एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में किया गया है ।

*४०-४१—श्री गयाप्रसाद—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री दयाराम शाक्य—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

२-३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[हटा दिये गये।]

४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया]

५-६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

प्रदेश की जनता द्वारा हड़ताल करने के उपलक्ष्य में बधाई देने तथा सदन का उपवेशन स्थगित करने हेतु नियम ११३ के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष, मैं नियम ११३ (१) व (२) के अनुसार एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके सामने पेश करना चाहता हूं और यह प्रस्ताव ....

श्री अध्यक्ष—

प्रस्तावों का समय तो प्रश्नोत्तर काल के बाद आयेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं निवेदन कर दूं कि यह प्रस्ताव पूरे सदन की कार्यवाही सारे दिन के लिये स्थगित करने के संबंध में नियम ११३ के अन्तर्गत बगैर सूचना के ही बधाई का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। मैं सूबे की करोड़ों जनता को बधाई देना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव चाहे जो हो, वह तो क्वेश्चन आवर के बाद ही आयेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

हम चाहते हैं कि आज सदन का कोई कार्य न हो और इसी कारण मैं इस प्रस्ताव को सब से पहले पेश करना चाहता हूं, मेरा प्रस्ताव यह है.....

श्री अध्यक्ष—

जरा आप सुन लें।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं ऐसा प्रस्ताव पेश कर रहा हूं जिसके लिये सूचना की जरूरत नहीं है। नियम ११३ (१) में बधाई का प्रस्ताव आ सकता है।

श्री अध्यक्ष--

तो सदन की कायवाही कैसे स्थगित होगी ?

श्री चन्द्रजीत यादव--

आप पहले हमारी बात सुन लें, वगैर सूचना के प्रस्ताव आ सकता है सदन की पूरी कार्यवाही बन्द करने के लिये, क्वेश्चन आवर और सारी कार्यवाही बन्द करने के लिये आ सकता है। यह एक आवश्यक प्रस्ताव है और ऐसे प्रस्ताव पेश हुये हैं, समवेदना के प्रस्ताव और हर तरह के प्रस्ताव इस तरह से पेश हुये हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह भी क्वेश्चन आवर के बाद ही होते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--

पहले भी पेश हुये हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह हो सकता है कि हम प्रश्नों का समय ही न रखें और केवल एक ही साथ कार्यक्रम रखें और वह हो सकता है कि समवेदना का प्रस्ताव हो जैसे कि आदरणीय प्रधान मंत्री के देहावसान के बाद हुआ था, लेकिन अगर हमारी कार्य-सूची में प्रश्न हैं तो प्रश्नों के बाद ही इस तरह के सारे कार्यक्रम आते हैं। यह आप का उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव है....

श्री चन्द्रजीत यादव--

जो नहीं, यह बधाई का प्रस्ताव है और मैं इस प्रस्ताव के द्वारा अपने सूबे की करोड़ों जनता को जो आज सरकार की खाद्य नीति के खिलाफ हड़ताल कर रही है उस को मैं बधाई देना चाहता हूं और चाहता हूं कि हम भी जनता के नुमाइंदे होने के नाते अपना कर्त्तव्य समझकर आज विधान-सभा का कार्य स्थगित कर के अपने को जनता की मांगों के साथ सम्बद्ध करें।

श्री अध्यक्ष--

यह गलत बात है, या तो आप बधाई का प्रस्ताव लाइये या उपवेशन के स्थगन का लायें।

श्री चन्द्रजीत यादव--

मैं बधाई का प्रस्ताव लाया हूं और उसके बाद मैं चाहता हूं कि यह सदन भी जनता की हड़ताल के साथ अपने को सम्बद्ध करे और पूरे दिन ....

श्री अध्यक्ष--

आप के प्रस्ताव दो तरह के हो गये, एक तो बधाई का प्रस्ताव है और अगर हम उसे स्वीकार करेंगे उसके बाद फिर आप कहेंगे कि अब हम स्थगित करते हैं। तो दो पार्ट हो जायेंगे और दोनों ११३ नियम के अन्तर्गत ला सकते हैं, एक बधाई का प्रस्ताव और दूसरा उपवेशन के स्थगन का। तो दोनों ही प्रस्ताव आप ला सकते हैं बिना किसी नोटिस के। लेकिन एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह दोनों प्रस्ताव क्वेश्चन आवर के बाद ले लीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव--

मैं निवेदन कर रहा हूं कि विशेष परिस्थिति है। अगर नियम बाधक हो रहा है तो आप नयम को निलम्बित कर दें। ऐसा कई बार हुआ है। क्योंकि विशेष परिस्थिति है इसलिय हम कोई काम नहीं करना चाहते। अतः अगर नियम बाधक हो रहे हैं तो आप उनको निलम्बित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

अगर निलम्बन का सवाल है तो दो नियमों को आप देखें। एक तो नियम ३१९ है विभिन्न वर्गों के कार्य की सापेक्ष पूर्वता। इस सापेक्ष पूर्वता में देखेंगे कि सबसे पहले शपथ अथवा प्रतिज्ञान है, दूसरे प्रश्न हैं (अल्पसूचित प्रश्न भी सम्मिलित हैं), फिर तीसरे निधन के निर्देश में आप वह भी जोड़ सकते हैं बधाई। लेकिन आप देखेंगे कि नियम ३१९ में कार्य-क्रम के अनुसार पहले प्रश्न लेने हैं उसके बाद फिर बधाई का ला सकते हैं और फिर आप वह भी प्रस्ताव रख सकते हैं कि अब कोई काम न किया जाय। तो उसको बाद में ले लीजिएगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आप रूलिंग दे चुके हैं और बिना सदन की स्वीकृति के आप स्वयं नियमों को सस्पेंड कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा कहां किया ?

श्री नेकराम शर्मा—

आप की व्यवस्था इस सदन में आ चुकी है। आपको याद होगा आपने स्वयं व्यवस्था सदन के समक्ष दी थी और मैंने आब्जेक्शन किया था कि कोई भी नियम अगर निलम्बित करें तो सदन की राय लें। आपने कहा कि मुझे अधिकार है और आपने नियम सस्पेंड किया है। इसलिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, कानपुर में लाठी चार्ज हुआ है, ५ आदमी गिरफ्तार हुये, विद्यार्थियों को भी चोटें आयी हैं, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसकी आज्ञा दे दें और इसको सरकार भी स्वीकार करेगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, मैंने यह बात अभी स्वीकार नहीं की कि नियमों को निलम्बित करने का मुझे अधिकार है। यह नहीं हो सकता। नियम ३१५ में दिया हुआ है, कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय..।" इसमें स्पष्ट है कि अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा। यानी कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकते हैं कि कोई नियम जो किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होता हो उसको निलम्बित कर दिया जाय। और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा आब्जेक्शन यही था, लेकिन आपने ओवर रूल किया और आपकी व्यवस्था यह हुई कि मुझे अधिकार है कि नियम को सस्पेंड कर सकता हूं और आपने सस्पेंड भी किया है, आप अपने सचिव से पूछ सकते हैं, प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आप संदर्भ पढ़ दें, मुझे याद नहीं। इस समय मैं स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन आप प्रस्ताव कर सकते हैं कि नियम ३१९ में जो कार्यक्रम विहित है उसको न मानते हुये बधाई का प्रस्ताव पहले लिया जाय। अगर सदन स्वीकार कर ले तो ठीक है। तो पहले नियमों को निलम्बित करायें।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, निलम्बन की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने तो यह कहा था कि अगर कोई नियमों की बाधा समझते हों और आपको स्वीकार है कि इस सदन में ऐसी स्थिति पैदा हुई

है जब सदन ने कोई काम नहीं किया है। समवेदना का प्रस्ताव पास करके और समवेदना करके सदन उठ गया है। उसी क्लाज के अन्दर बधाई का भी प्रश्न है। आज पूरे प्रदेश की जनता जिन मांगों को लेकर हड़ताल कर रही है उसके साथ हम अपने को सम्बद्ध करें और कोई कार्यक्रम न हों।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

मेरा प्रस्ताव यह है कि माननीय चन्द्रजीत यादव का जो प्रस्ताव है वे उस प्रस्ताव को पढ़ दें।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, अभी थोड़े समय पूर्व पूज्य नेहरू जी के संबंध में कंडोलेंस का प्रस्ताव पेश हुआ था उस समय हाउस में नियम सस्पेंड करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था।

श्री अध्यक्ष--

उस दिन की, जिस दिन का आप जिक्र करते हैं, जो कार्यसूची आपके पास पहुंची थी तो तो आपने देखा होगा कि उस दिन केवल एक ही आइटम था और वह था समवेदना का प्रस्ताव। उसमें और कोई आइटम नहीं था। अगर ऐसा करें जो आप चाहते हैं तो नियमों का निलम्बन करना होगा।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, आपको अधिकार है। ये माननीय सदस्य तय करते हैं कि बधाई दी जाय तो हाउस की सेंस देख ली जाय और प्रस्ताव आ जाय।

श्री अध्यक्ष--

पहले तो यह देखना है कि बधाई का प्रस्ताव आ सकता है या नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव--

श्रीमन्, प्रस्ताव तो आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

अगर इसमें आपको संतोष हो, तो पढ़ दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव--

वह प्रस्ताव इस प्रकार है --

"माननीय अध्यक्ष महोदय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

तीव्र गति से बढ़ती हुई मंहगाई और खाद्य संकट के विरोध में आज सम्पूर्ण राज्य की जनता जिसमें मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग के लोग, छोटे दुकानदार और विद्यार्थी सम्मिलित हैं "उत्तर प्रदेश बन्द" के नारे को लेकर शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी या दूसरी आवश्यक सेवाओं के लोग जो इस हड़ताल में अपनी विशेष स्थिति के कारण सम्मिलित नहीं हैं, उनकी भी पूरी सहानुभूति और शुभकामना इस हड़ताल के साथ है।

यह हड़ताल सरकार की उन नीतियों के विरुद्ध है जो वर्तमन संकट के लिये उत्तरदायी है। देश के मुट्ठी भर बैंकों के मालिक, जखीरेबाज, सट्टेबाज और शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार जन-जीवन को संकटमय बनाने के लिये जिम्मेदार है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

राज्य की जनता संगठित होकर इन मांगों को पूरा कराने के लिये कि गल्ले का राज्य व्यापार हो, जखीरेबाजों के विरुद्ध प्रभावकारी कानून बनाकर उनका जखीरा निकाला जाय, सट्टेबाजी अविलम्ब बन्द हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो इसके लिये आज जो राज्य व्यापी हड़ताल कर रही है उसे राज्य विधान सभा बधाई देती है और यह विश्वास दिलाती है कि वर्तमान खाद्य एवं कीमतों के संकट के लिये जिम्मेदार नीतियों को बदलवाने के लिये सरकार पर दबाव डालेगी। जनता की इन उचित मांगों के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए विधान सभा आज पूरे दिन के लिये अपना कार्य स्थगित करती है।"

श्रीमन्, मेरे साथ माननीय भीखालाल जी, माननीय ऊदल, माननीय रघुवीराम जी एवं माननीय सुरजनराम जी भी हैं। मैं उनकी तरफ से यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मुझे बड़ा दुख: है कि जिस रूप में यह प्रस्ताव रखा गया है वह बधाई का प्रस्ताव नहीं होगा। यह एक कामरोको प्रस्ताव के रूप में आ सकता था, अगर आता। बधाई का प्रस्ताव आप रखें। बिना किसी नोटिस दिये सिर्फ एक तरीका है कि आप कामरोको प्रस्ताव रखें और चूंकि प्रस्ताव नियमित समय में नहीं दे सके तो उसको बधाई की आड़ में लाना चाहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--

श्रीमन्, मैं इस पर आपत्ति करता हूं। जहां तक नियमों का संबंध है मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमवली है उसका भी मुझे ज्ञान है। आपका यह कहना कि मैंने समय के अभाव के कारण बधाई के रूप में दिया यह आपका आक्षेप है और मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार का आक्षेप आपको किसी माननीय सदस्य पर नहीं लगाना चाहिये। बधाई इसलिये हम देना चाहते हैं कि जिन नीतियों को लेकर जनता खड़ी हो रही है, उसके भी कुछ कारण हैं। सरकार की नीतियां ही अन्न संकट के लिये जिम्मेदार हैं और जनता उसके लिये संघर्ष कर रही है उस संकट से बचने के लिये। इसलिये हम जनता को बधाई देना चाहते हैं। बिलकुल स्पष्ट रूप से और जानबूझ कर नियमों के अन्तर्गत मने इस प्रस्ताव को पेश किया है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, नियमावली के नियम ३१९ और २३ (२) के मुताबिक जब तक स्पीकर अदरवाइज डायरेक्ट न करें कोई दूसरा बिजनेस जो एजेंडे पर न हो, नहीं लिया जा सकता है। एजेन्डा के अनुसार पहले प्रश्नोत्तर होना चाहिये तब अन्य विषय आ सकते हैं।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

अध्यक्ष महोदय, नियमावली की धारा ११३ के अनुसार यह सही है कि आपकी अनुमति से, बिना नोटिस दिये हुए कोई प्रस्ताव आ सकता है परन्तु ३१९ के अनुसार जो इसमें क्रम दिया गया है जब तक उसको धारा ३१५ के मुताबिक तब्दील न किया जाय उस वक्त तक मेरा खयाल है आपके लिये ११३ के अनुसार इजाजत देना सम्भव नहीं होगा। इसलिये कार्यक्रम के क्रम को बदलने के प्रस्ताव का भी मैं विरोध करता हूं और जिस वक्त प्रस्ताव आयेगा उस वक्त म उस पर अपने विचार प्रकट करूंगा। इस वक्त यह प्रश्न नहीं है। इस समय तो प्रश्नों का समय है। प्रश्न शुरू किये जायं और ३१५ के अनुसार नियमों को स्थगित करने की बात कही गयी है, उसका भी मैं विरोध करता हूं।

श्री झारखण्डे राय—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का एक पहलू और है। सारे प्रदेश की जनता आज अपने रोष को प्रकट करना चाहती है और उसके लिये हड़ताल कर रही है और हम उस जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं। तो हम उस जनता के साथ अपनी भावनाओं को कैसे संबद्ध करें? यह प्रश्न आज हमारे सामने है। इसलिये मैं समझता हूं कि आज की कार्यवाही को मुल्तवी करके हम जनता की भावनाओं का आदर करें। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर सरकार स्वयं सोचे और माननीय बनारसी दास जी भी दोबारा इस पर गहराई से सोचेंगे और आप भी खूबसूरती तथा संयम के साथ इस पर अपना निर्णय देंगे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आप रूल ११३ को ठीक तरह से देखें "निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के लिये जा सकेंगे" (व्यवधान) में ला की बात रख रहा हूं। ला का जवाब ला से दिया जाय। ऐसी हरकत कांग्रेस की तरफ से हो रही है इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या हो सकती है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कांग्रेस वालों को समझ लेना चाहिये कि उनसे यह उम्मीद नहीं हो सकती कि वे व्यवस्थित काम करेंगे। वे कृपया खामोश रहें। (व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव—

तो अध्यक्ष महोदय, नियम ११३(६) में यह दिया हुआ है "किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव।" कार्यसूची जो सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें सब दिया हुआ है और इसको देखते हुये ये बिना नोटिस के कोई मोशन पोस्टपोनमेंट का नहीं आ सकता। तो सदन का जो बिजनेस है वह श्रीमन्, के सामने है उसको देखते हुये आपने यह परमीशन दे दी है, कि अपने मोशन को सदन के सामने रखो और उन्होंने रख दिया है, क्योंकि शुरू में यह दिया हुआ है कि "The following motion may be made, if the Speaker permits,....." यानी एक मोशन जिसकी परमीशन दे दी गई है और सदन के समक्ष रख दिया गया है तो अब मैं समझता हूं कि जहां तक माननीय बनारसीदास जी का कहना है कि नियम निलम्बित किये जायं, इसका कोई सवाल नहीं रहता है क्योंकि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। अगर प्रस्ताव नहीं किया गया होता तब तो मैं मानता कि ठीक बात है और इस पर कंसीडर करने का मौका है। लेकिन आपने परमीशन दे दी है कि मोशन सदन के सामने रखा जाय और वह प्रस्तुत भी किया जा चुका है। इसलिये अब श्रीमन्, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इसका विरोध किया जा सकता हो या नियम ३१५ का प्रश्न उठता हो।

श्री अध्यक्ष—

अब जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया है, उस संबंध में हमारे पूर्वगामी अध्यक्षों ने निर्णय दिये हैं ११३(१) के अन्तर्गत कि समवेदना और बधाई के प्रस्ताव यदि आते हैं तो सभ्यता और शिष्टता इस बात का तकाजा करती है कि समवेदना का या बधाई का जब प्रस्ताव आये, तो उसको सदन स्वीकार करे अन्यथा, अगर स्वीकार नहीं होता, तो समवेदना और बधाई निरर्थक ही नहीं बल्कि उसका कुप्रभाव होता है और कुप्रभाव यह होता है कि जिसके साथ समवेदना प्रकाशित करना चाहते हैं उससे अगर सदन सहमत नहीं होता, तो दिवंगत आत्मा के प्रति अनादर व्यक्त होता है और उसके परिवार के साथ हमारा अशिष्ट व्यवहार सूचक कार्य हो जाता है। इसी प्रकार से बधाई के संबंध में भी यही कल्पना होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये १९५२–६२ के जो संकलन हैं उसके पृष्ठ ३६८–३६९ पर यह निश्चय हो चुका है कि कंडोलेंस मोशन अथवा समवेदना का प्रस्ताव, जिसमें बधाई का भी प्रस्ताव है वह, प्रायः नेता सदन के द्वारा या सत्तारूढ़ दल के

[श्री अध्यक्ष]

द्वारा आना चाहिये ताकि वह स्वीकृत हो सके और यह हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल के नेता अपोजीशन के नेता से बातचीत कर लें । लेकिन प्रायः इस प्रकार के प्रस्ताव अपोजीशन की तरफ से नहीं आते और न आने चाहिये । यह ३६८ और ३६९ पर है ।

इसके स्वीकार करने में पहली कठिनाई यह है कि अगर इसको सदन द्वारा स्वीकार किया गया तो बधाई का प्रस्ताव एक विचित्र रूप धारण कर लेगा । दूसरी बात यह है, मैं आक्षेप नहीं कर रहा था बल्कि मैं कह रहा था कि किसी तरीके से सदन के उपवेशन का स्थगन, सत्तारूढ़ सरकार के ऊपर कुछ लांछन लगाकर कराया जाय, ऐसा विषय काम रोको प्रस्ताव का है न कि इस प्रकार के प्रस्ताव का उपवेशन का स्थगन या विशेष कार्यवाही का स्थगन उन परिस्थितियों में होता है जिनमें आदरणीय सदस्यगण, जो विरोधी दल के हैं, उनको कार्य करने में कठिनाई उपस्थित हो जाय, तो मेरा कर्त्तव्य है कि मैं देखूं कि क्या कोई ऐसी अड़चन है, जिसके कारण कार्य नहीं हो सकता है तभी यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव आ सकते हैं । मेरा आपसे यह निवेदन था कि इन दो बातों को ध्यान में रखते हुये यह जो प्रस्ताव रखा गया है, वह नहीं आ सकता । यह नियम के अनुरूप नहीं है ।

तीसरी बात यह है कि अगर उसके ऊपर अन्ततोगत्वा बहस भी करनी हो, विचार भी करना हो तो कोई कारण नहीं मालूम होता कि हम कैसे ३१९ में विहित कार्यक्रम के विरुद्ध करें । अतः मेरा यह मत है कि क्वेश्चन ओवर होने के बाद इस पर विचार कर लेंगे । सम्प्रति मैं समझता हूं कि आपका प्रस्ताव ठीक नहीं है ।

सदन में विघटित घटनाओं एवं विरोधी पक्ष के सदस्यों के निष्कासन के सम्बन्ध में अंगीकार किये गये तरीके पर आपत्ति

*श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि कल जो घटनायें इस सदन में घटीं और उस सम्बन्ध में जो व्यवहार सदन में हुआ है, उससे हम लोगों को बड़ा दुख हुआ है । कल एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिसमें मैं समझता हूं कि इस पक्ष और उस पक्ष में कोई मतभेद नहीं था—हिन्दी को सबने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, और उसके स्वीकार करने में मैं समझता हूं कि भेद नहीं था आज तक मैं यही समझता था । लेकिन उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार ने एक ऐसा संशोधन विधेयक उपस्थित किया जिसमें सरकार में और विरोधी दल में मतभेद था । मैं समझता हूं कि लोकतंत्रीय परम्परा में जब ऐसे प्रश्न जिसमें मतभेद है तो विरोधी पक्ष को अगर विश्वास में ले लिया जाता तो कठिनाई शायद नहीं होती । खैर सरकार का यह काम है । सरकार शायद यह समझती है कि विरोधी पक्ष के बगैर भी सरकार चलायी जाय तो उससे लोकतंत्र में कोई कमजोरी नहीं होती, लेकिन कल आपके चले जाने के बाद जो घटनायें हुईं और आप जानते हैं कि विरोधी पक्ष ने बड़ी उदारता के साथ. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

अगर यह सब बातें प्रश्नों के बाद आ जातीं, तो क्या ठीक नहीं होगा ?

श्री शारदाभक्त सिंह—

अध्यक्ष महोदय, इस समय प्रश्नों का सवाल नहीं है । आपने भी देखा होगा. . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने देखा नहीं है, पढ़ा है और सुना है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

तो मैं यह कह रहा था कि विरोधी दल की तरफ से, इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि एक पक्षीय अध्यक्ष होने के बाद भी हम लोगों ने इस बात पर विश्वास किया कि हम लोगों को न्याय मिलेगा और ऐसी वह उदारता और वह न्याय में समझता हूं हमें कल नहीं मिली है। आपके चले जाने के बाद जो लोग इंगित किये गये उनके प्वाइंट आफ आर्डर ऐसे महत्वपूर्ण हिन्दी जैसे प्रश्न पर नहीं सुने गये, उनको कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष भी नहीं बुलाया गया और जो बातें वह कहना चाहता था कि उनको समय नहीं दिया गया । अगर लोकतंत्र में विरोधी दल को कुछ कहना भी हो वह भी अधिकार उनको कहने का नहीं दिया गया । हमको रोका जा सकता है और हम रुक भी जाते हैं, लेकिन जब हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे क्योंकि मूलभूत प्रश्न था। साधारणतः तो हम लोग शान्ति से बैठ जाते हैं, लेकिन कल जिस समय इंगित हो रहा था उस समय एक सज्जन जाते थे उधर से पूछ कर आते थे कि अब किसको इंगित किया जाय और जब वह कहते हैं कि उनको करो तब यहां से उनको इंगित कर दिया जाता है । मैं तो कोई ऐसी बात जल्दी नहीं कहता, लेकिन मुझे लोकतंत्र परम्परा का ऐसा लगता है कि उसके लिये अधिक परवाह नहीं है। अगर सरकार चाहे तो सरकार सब कुछ कर सकती है लेकिन मैं यह समझता हूं कि वह पीठासीन व्यक्ति को भी यहां तक प्रभावित करसकती है कि उनको किसको इंगित करना चाहिये और किसको नहीं करना चाहिये। मैं स्पष्ट कहता हूं कि इससे मुझको बड़ा दुख हुआ। मैं समझता हूं कि परसुयेशन से सदन का कार्य चलता। सरकार यह समझती है कि २८ आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करके और विरोधी पक्ष के लोगों को निकाल करके उसके बगैर भी सरकार सारे काम कर सकती है और वह यह समझती है कि लोकतंत्र के माने यह हैं कि बहुमत तो उसके पास बैठता है और वह कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी से लाकर २ मिनट के अन्दर खत्म करा सकती है । हमारी भावनायें न सुनें, मैं समझता हूं, यह लोकतंत्र के लिये बड़ा हानिकारक है ।

जिस तरह कि यहां पर कल कार्यवाही हुई है, जिस तरह का कल यहां पर व्यवहार हुआ है, वह लोकतंत्र के लिये ही कलंक नहीं है बल्कि उस स्थान के लिये भी कलंक है जिसका हम लोग आदर करते हैं और बहुत बार यदि कुछ मतभेद होता है तब भी उस स्थान के निर्णयों को स्वीकार करते हैं। मैं बहुत बार अपनी तरफ से कह चुका हूं कि किसी भी परिस्थिति में, हम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, हम यह विचार नहीं रखते कि उस कुर्सी के आदेशों को न मानें । लेकिन इतना होते हुये भी, उस कुर्सी के प्रति इतना समादर रखते हुये भी जबकि हम अपने अधिकारों को समर्पण करने के लिये तैयार हैं तो उस स्थान पर सरकार की ओर से दबाव डाला जाय और वह स्थान सरकार ने इशारे पर काम करने लगे और उस स्थान पर सरकारी प्रभाव काम कर जाय तो उस दशा में लोकतंत्र की आस्था हमारे दिलों से बिलकुल खत्म हो जाती है ।

इस स्थिति में जो वातावरण बन रहा है और जो हमारी आखिरी आशा थी कि उस स्थान से हम लोगों की रक्षा होगी, सरकार की तरफ से यदि कोई ज्यादती होगी तो उस कुर्सी से हमको त्राण मिलेगा, यदि वह विश्वास भी हमारा समाप्त हो जाता है और सरकारी प्रभाव उस कुर्सी पर काम करता है तो फिर हमारे लिये कोई चारा नहीं रह जाता है । ऐसे प्रश्न पर अगर हमारा सहयोग सरकार नहीं ले सकती और हमसे बात नहीं कर सकती और केवल यह सोचे कि यह जो यहां पर विरोधी दल बैठा है इनकी कोई बात नहीं सुनेंगे और जो चाहे पास कर लेंगे तो यह लोकतंत्र के लिये अच्छी बात नहीं है । इस स्थिति में अगर सरकार ने यह तय कर लिया है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं, वह किसी तरह से कर लेंगे और कोई सदस्य बोलेगा तो उसको इंगित कर देंगे तो इस सदन में बैठकर हमें कोई भी काम करने में कठिनाई है । अगर सरकार यह सोचती है और कुछ लोग कहते हैं कि इनको निकाल दिया जायेगा तो पैसा नहीं मिलेगा और तब पता चलेगा, अगर इस प्रकार की भावना विरोधी दल की ओर से उनके मन में है तो सरकार गलतफहमी में है। हम इसके लिये तैयार हैं कि यहां से रिजाइन करके चुनाव लड़ लिया जाय । यदि कोई मूलभूत सिद्धान्त ऐसा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिये कोई आवश्यकता है और सरकार चाहती है तो हम

[श्री शारदाभक्तसिंह]

यहां से रिजाइन करके लड़ने के लिये तैयार हैं । हम नहीं चाहते कि हर प्रश्न के ऊपर बोला जाय, किन्तु हिन्दी का प्रश्न ऐसा है जिस पर हममें से हर एक बोलना चाहता है । उसको अगर सरकार सुनना नहीं चाहती है और अगर कोई खड़ा होकर कहना चाहे तो उसको बाहर जाने के लिये कहा जाय तो इस प्रकार की परिस्थिति में अगर हाउस को चलाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि उस स्थान का आदर करते हुये भी और हमने हमेशा उस स्थान का आदर किया है लेकिन इस भावना से यदि सरकार कार्य करना चाहती है तो विरोधी पक्ष का एक-एक सदस्य सजा पाने के लिये तैयार है और एक्सपेल होने के लिये तैयार है । किसी भी धमकी से सारा विरोधी पक्ष डरने वाला नहीं है । यदि सारे विरोधी पक्ष को इंगित कर दिया जाय और निकाल दिया जाय तो भी हम इसके लिये तैयार हैं । जिस प्रकार का व्यवहार विरोधी पक्ष के साथ किया गया और जिस प्रकार का वातावरण यहां पर पैदा किया गया उसमें विरोधी पक्ष के लिये काम करना असम्भव है ।

मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता में लोकतंत्र की भावना में विश्वास प्रकट करने के लिये जिस प्रकार का वातावरण यहां पर कल पैदा किया गया और जिस प्रकार की परिस्थिति कल यहां पर सरकार द्वारा पैदा की गई, उसमें विरोधी पक्ष की, एक ही मांग है और वह यह कि सरकार को उसका पश्चाताप करना चाहिये जिससे विरोधी पक्ष का लोकतंत्र में विश्वास रहे । अगर सरकारी पक्ष के लोगों की यह भावना है कि यह विरोधीदल यहां पर दुश्मन बैठा है और जो चाहें पास कर लें तो इस तरह से यहां का कार्य चलना कठिन है । अगर सरकार लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती है तो सरकार का कर्त्तव्य है कि विरोधी पक्ष का विश्वास प्राप्त करे और कम से कम यह दिखाये कि हम डिक्टेटर नहीं हैं । जिस प्रकार का वातावरण यहां पर बन रहा है जिसमें हम मूलभूत प्रश्नों पर अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक न रख सकें तो हमारे लिये यह प्रसन्नता की बात होगी कि हम अपनी आत्मा को बेचकर यहां पर न रहें और उसके लिये जो भी सजा हो उसको पाने के लिये विरोधी दल तैयार है । उसके बाद में आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सरकार यह अनुभव करती है और मैं ईमानदारी से अनुभव करता हूं कि सरकार ने कल जो रवैया अपनाया है, वह इस सदन में स्वस्थ वातावरण रखेगा नहीं । ठाकुर साहब तैयार हो रहे हैं और मैं जानता हूं कि वह कोई चुटकुला छोड़ देंगे । लेकिन यह अच्छा नहीं है । मैं उनकी इज्जत करता हूं लेकिन बाहर के लोगों में यह विश्वास जमता जा रहा है कि लोकतंत्र में जब कोई बात कहने के लिये न रहे तो हंस दो । मैं आपकी इज्जत करता हूं इसीलिये यह बात आप के सामने रखना चाहता था । इस परिस्थिति में जो रवैया सरकार ने अपनाया है, अगर वह उसमें परिमार्जन करने को तैयार नहीं है तो फिर हम लोगों को इस सदन में रह कर कार्य करना असम्भव हो जायगा ।

(श्री हुकुमसिंह विसेन का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, सदन में कल घोर असंतोष का वातावरण था और २८ सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है । इसलिये आप पहले हम लोगों की बात सुन लीजिये तब ठाकुर साहब की बात सुनें ।

(विरोधी पक्ष के सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाइये । शारदाभक्तसिंह जी, आप बैठें । अगर वह बोलना चाहते हैं तो आप उनको सुन लें ।

श्री बांकेलाल--

हम लोग पहले उनकी बात नहीं सुनेंगे । कल २८ सदस्यों को निलंबित किया है इसलिये पहले हमारी बात सुनी जाय ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि इस समय आपके ऊपर एक विशेष, काफी गुरुतर उत्तरदायित्व है और इसलिये अगर इधर के लोग कुछ कहना चाहते हैं तो उसके सुनने के बाद सरकारी पक्ष अपनी बात कहे तो उससे बहुत आसानी हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

आप बिल्कुल ठीक कहते हैं । लेकिन दो बातें हैं । पहले तो नेता विरोधी दल ने यह कहा कि सरकार की तरफ से जो व्यवहार अंगीकार किया गया वह अनुचित था । दूसरा उनका आरोप यह है कि सरकार द्वारा संकेत करने पर विशेष व्यक्तियों को माननीय उपाध्यक्ष ने इंगित किया । यह दो बातें हैं । जो महानुभाव इंगित हुये हैं उन के संबंध में कोई उत्तर केवल माननीय बनारसीदास जी दे सकेंगे । जहां तक माननीय उपनेता सदन का प्रश्न है वह उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालेंगे कि जिन परिस्थितियों में यह बातें हुईं । फिर आप लोगों की बात मैं सुन लूंगा और फिर निर्णय दूंगा ।

श्री बांकेलाल--

माननीय बनारसीदास जी के कारण से यह असंतोष और उपद्रव का वातावरण यहां प्रस्तुत हुआ था । उपनेता सदन उत्तर दे सकते हैं, लेकिन पहले आप हम लोगों की बात सुन लीजिये । आपको पक्षपात रहित हो कर निर्णय देना चाहिये । हम लोगों ने निश्चय किया है कि सदन नहीं चलने देंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

देखिये, अब माननीय उपनेता सदन बोलेंगे ।

*माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है । कल भी रहा, आज भी है । हमारी बदकिस्मती से या इत्तफाक से या हमारे नेता सदन और अपोजीशन के लीडर मौजूद नहीं थे । नेता विरोधी दल ने अखबारों में जो बातें पढ़ीं उन्हीं के आधार पर यहां कुछ बातें कहीं । हमारे मित्र ने बताया कि हमको हंसना नहीं चाहिये, लेकिन अगर आप मुझे भी हंसने का मौका दें तो अच्छा है, क्योंकि उससे एक अच्छा वातावरण बन सकता है । हमारे मित्र ने लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दी, लेकिन आज जब मैं काल आपान हुआ तो सब खड़े हो गये, तो यही लोकतंत्र आपने इन लोगों को सिखाया है ? आप अपोजीशन के नेता हैं, इनको समझाइये कि जो रूल्स और रेगुलेशंन हैं उनके मुताबिक अमल करें । कल के दृश्य को देखकर सिर्फ मेरे आंसू नहीं निकले लेकिन बड़ी परेशानी हुई कि हमारे माननीय सदस्य जो लाखों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं वह इस तरह से बिहेव करें । कहें कि काम नहीं चलने देंगे, फिर तो लोकतंत्र का खुदा हाफिज है । लोकतंत्र में खाली गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है, अपोजीशन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है और जब वह पचासों की तादाद में कह दे कि सदन को चलने नहीं देंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा ? किसी रूलिंग से अगर आपका विरोध है तो उसके लिए प्राविधान मौजूद है, उसको न करके शोर मचाने से काम नहीं चलेगा । अगर गवर्नमेंट इतने से घबरा जाय तो हमको गवर्नमेंट छोड़ देनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

चाहिए। गवर्नमेंट इससे घबरायेगी नहीं। आपको हक है आप हड़ताल करावें, जो चाहे करें; लेकिन असेम्बली में बैठ करके जैसे माननीय सदस्यों को आचरण करना चाहिए उस तरह से आचरण करें।

यह कहा गया कि यहां से इशारा हुआ तब उधर के लोग इंगित किये गये। यह वहम है। हमें तो पता ही नहीं चलना था कि किसको इंगित किया गया, इस लिये नाम जाकर पूछते थे। कहते हैं कि इंगित कराते थे, ऐसी बात नहीं है। (आवाजें--बिलकुल गलत!) आपकी बात ही सही, लेकिन हम अपनी बात को कहना कर्तव्य समझते हैं। जब बिलकुल नामुमकिन हो गया काम करना, खाद्य मंत्री को पुकारा गया, उनको अपना बयान देना नामुमकिन हो गया, तब इंगित करना भी जरूरी हो गया। चेयर ने अपनी रेस्पांसिबिलिटी अदा की, हमने अपनी अदा की। हम करें क्या? हमको तो एक पेन फुल ड्यूटी अदा करनी पड़ती है। हम नहीं चाहते कि किसी के ऊपर बदउनवानी हो, लेकिन हमारे नेता विरोधी दल अगर मौके पर मौजूद होते और एक लेक्चर दे देते तो वातावरण शान्त हो जाता, और वह एक सोमेंटिंग फैक्टर साबित होते। उधर के माननीय सदस्यों को कंट्रोल करना आपकी ड्यूटी है। कोई लेट रहा है... (एक आवाज--शुरुआत कहां से हुई?) शुरुआत उधर से हुई, हल्ला उधर से ही मचाया गया। यह कहा गया कि किसी मिनिस्टर ने कहा कि अच्छा है अगर अपोजीशन वालों का डेली अलाउन्स खत्म हो जाय। तो अव्वल तो किसी ने कहा नहीं, ऐसी हमारी इत्तला है और हम तो चाहते हैं कि पीसफुली काम हो, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, दोस्त है, जब जरूरत होगी तो हम आपसे सहयोग करेंगे और इसी भाषा बिल पर किया है। हर पार्टी के लीडर को माननीया सुचेता जी ने बुलाया था और उनसे बातें कीं। अब आप राजी न हों और हुल्लड़ मचाने लगें तो क्या होगा? यह असेम्बली शोर मचाने के लिये नहीं है। मैं तो सन् १९२२ से देखता चला आ रहा हूं और मैंने कभी ऐसा हुल्लड़ नहीं देखा। हम चाहते हैं कि जो बात हो वह नियम के अनुसार हो। (व्यवधान) आपको अगर किसी बिल का विरोध करना है तो आप नियमों के अनुसार करिये। आगे जनरल इलैक्शन होगा, वहां लड़ लीजिये। मगर आप अभी से डंडा लेकर तैयार हैं। हम शारदाभक्त सिंह जी से इत्तफाक करते हैं कि जनतंत्र की रक्षा करना चाहिये। आप भी करें, हम भी करें, तभी जनतंत्र की रक्षा हो सकती है। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, कमी हम में भी हो सकती है, अगर हम हंसें नहीं? आपकी हर तरह की बात को कैसे बरदाश्त करें तो आपकी तरह अगर हम भी टैम्पर लूज करने लगें तो फिर क्या होगा? इसलिये हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करें। तभी इसकी रक्षा हो सकती है। हमसे कहा जाता है कि हम निकम्मे हैं, लेकिन मैं कैसे कहूं आपके लिये? आप तो १६ साल के अन्दर एक यूनाइटेड फ्रन्ट नहीं बना सके। तो हम निकम्मे हैं या आप? आपने क्या काम किया सिवाय यहां हुल्लड़ मचाने के? कल यहां जूता हाथ में लेकर मेज थप थपाई जा रही थीं। इतना ही बाकी रह गया कि हमारी तरफ फेंका नहीं गया। इसलिये मैं फिर आग्रह करूंगा कि आप लोग शान्त तरीके से सदन का काम चलने दें।

(व्यवधान)

*श्री झारखण्डेराय--

अध्यक्ष महोदय, माननीय उपनेता सदन ने जो बातें कहीं उनको सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे इस बात का भी दुख है कि कल मैं यहां मौजूद नहीं था। मुझे उसकी कुछ जानकारी साथियों से बात करने पर हुई। मेरा आप से आग्रह है कि आप शान्त तरीके से जरा इस विषय पर विचार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, सदन के शान्तिमय तरीके से चलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अभी माननीय यादव जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया, उसके ऊपर जो विचार सरकारी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तथा नेता विरोधी दल की बातों पर जो विचार प्रकट किये गये हैं उससे मैं यह महसूस करता हूं कि सरकारी पक्ष को आज की गम्भीर परिस्थिति का अहसास नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आज की सदन की कार्यवाही को आप अपने अधिकार से स्थगित करें और सरकार के प्रतिनिधि और हम लोगों को आप अपने कक्ष में बुला कर ऐसा सम्मानपूर्वक रास्ता निकालें जिससे सदन और सब लोगों की मर्यादा रहे। आप मेरे इस विशेष आग्रह और निवेदन को स्वीकार करें, वरना तो उत्तेजना के वातावरण में कार्य चलाना सम्भव नहीं प्रतीत होता है। सरकारी पक्ष के अनुचित रुख से इधर बहुत चिन्ता है और अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, कल जब यहां यह दुर्व्यवस्था पैदा हुई, उस समय दुर्भाग्य से मैं नहीं था। परन्तु जो समाचार-पत्रों में पढ़ा और जो नेता विरोधी पक्ष ने कहा, यदि वे बातें सत्य हैं तो यहां सरकारी इशारे पर लोग इंगित किये गये और यह सारा व्यवहार निन्दनीय हुआ है। परन्तु उसके साथ में विरोध पक्ष में बैठने वालों से भी पूछना चाहता हूं कि वे भी अपने दिलों पर हाथ रखकर इस बात को सोचें कि क्या उस प्रजातंत्र की रक्षा के लिये, जिसके हम सब अपने आपको उपासक बताते हैं, किस हद तक प्रजातांत्रिक पद्धति को उन्होंने निभाया है। मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र में जैसा व्यवहार इस सदन में होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इसके लिये केवल सरकारी पक्ष ही दोषी नहीं है। आज हमारे सामने केवल अन्न का संकट या हिन्दी भाषा का ही प्रश्न नहीं है। सब से बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इस देश में जनतंत्र सुरक्षित रह सकेगा? उसके लिये आवश्यक है कि इस सदन की कार्यवाही विधिपूर्वक नियमों के अनुसार चले। विरोध पक्ष के जो लोग यह कहते हैं कि वह इस सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम यही होगा कि प्रजातंत्र इस राज्य में समाप्त हो जायगा। क्या आप यही चाहते हैं? यदि यही चाहते हैं तो उसके लिये दूसरे मार्ग हैं और यहां आने की आवश्यकता नहीं है। आप सामूहिक रूप से सदन छोड़कर बाहर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर सदन को चलाना है और प्रजातंत्र में विश्वास है तो नियमों का पालन करना होगा।

मैं सरकारी पक्ष से, विशेषकर नेता सदन से अपील करता हूं कि वह इस समय थोड़ी उदारता दिखावें और जो लीगल पोजीशन है उसे छोड़कर अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करें। माननीय हुकुमसिंह जी ने जैसा भाषण दिया उससे इस प्रकार का वातावरण नहीं बनता है। जैसा झारखण्डेराय जी ने कहा, आप थोड़ी देर के लिये सदन को निलम्बित कर दें और यह अवसर दें कि दोनों तरफ के लोग बैठकर इस बात का प्रयत्न करें कि पुनः किस प्रकार से सुचारु रूप से सदन का कार्य चल सकता है।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने उपाध्यक्ष जी से कहा कि आप सदन को स्थगित कर दीजिये, बनारसीदास और उपनेता जी ने कहा, लेकिन दाऊदयाल जी खन्ना और मुजफ्फर हसन साहब ने जवाब दिया कि हम तो उन लोगों को निकालेंगे, हमने यह तय कर लिया है (शोर)।

सरकारी पक्ष के अनेक सदस्य—

यह गलत है, ऐसा नहीं कहा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं महात्मा गांधी की साक्षी देकर कहता हूं कि इन्होंने ऐसा कहा ।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या झारखण्डेराय जी ने जो कहा है उससे सहमत हैं ? क्या प्वाइंट है आपका ? ऐसी बात बतलाइये जिससे समस्या सुलझे ।

श्री नेकराम शर्मा—

बड़ी मुश्किल यह है कि आप हमारे कहने से पहले ही समझने की कोशिश करते हैं । कहने तो दीजिये । आप सुनें, सुलझाने की ही बात बता रहा हूं ।

इधर के बैठने वाले की, किसी की यह इच्छा नहीं है कि सदन न चले । २, ४ एक्सेप्शन्स हो सकती हैं । ऐसे इंडिविजुअल दोनों ओर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही (शोर) ।

झगड़े का जो कारण बना, प्रोवोकेशन हुआ, मैं उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं । कल श्री लखपतराम जी शर्मा जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहते थे उसे भले ही चेयर सुन कर रूल आउट कर देती । लेकिन आप हमारी बात को बिना सुने ही सारी बात जान जाते हैं । कल प्रयत्न किया गया ऐसी परिस्थिति न पैदा हो और सदन चले । मैं चाहता हूं कि नियमों के अनुसार सदन चले । ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि कल हुआ । हम लोगों ने डिवीजन मांगा, लाबी डिवीजन मांगा, किसी पर ध्यान नहीं दिया गया और रिपोर्टर्स को भी पता नहीं चल पाता है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय झारखण्डेराय जी ने जो बात कही, आप उसे सपोर्ट करते हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

आप मुझसे यह क्यों जानना चाहते हैं ? मुझे कहने दीजिये ।

आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज केस को पढ़ें होते हैं, लेकिन यदि वकील कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं तो वे शान्ति से सुनते हैं । आपका और माननीय उपाध्यक्ष का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो प्रश्न उठाया जाय, उसे आप सुनने की कृपा करें, भले ही उसके बाद आप उसे रूल आउट कर दें । लेकिन आप माननीय सदस्य को न बोलने दें और उससे ज्यादा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रिसाइडिंग अफसर बोले तो सदन में शोर हो जाता है । मैंने बड़े प्रयत्न किये, मैं डिप्टी स्पीकर के पास गया कि सदन को स्थगित कर दीजिये, सब लोग बैठ जाइए, बात कर लीजिये । माननीय बनारसी दास से कहा, उपनेता सदन से भी कहा, लेकिन मैं आपसे सही कहता हूं मैं भी कांग्रेस में रहा हूं, आजादी की लड़ाई लड़ी है, बेंत खाये हैं जेल गया हूं, मैंने जब यह कहा तो माननीय मुजफ्फर हसन और दाऊदयाल खन्ना बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं यह तय हो गया है । तो यह झगड़ा नहीं है कि विरोधी दल नहीं चाहता है, यह बात हो सकती है, इस दल में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनको गुस्सा आता हो, लेकिन श्रीमन्, बात यह है कि विरोधी दल से कहते हैं तो आपको भी और उपाध्यक्ष को भी विरोधी दल की पूरी बात सुननी चाहिये । कोई सदस्य कुछ कहना चाहता है तो उसको सुन लीजिये और फिर अपनी रूलिंग दे दीजिये । लेकिन यह कि इस तरह से लोग चिल्लाते रहें, शोर होता रहे और प्रस्ताव पास हो जाय, सारे झगड़े की जड़ यह है। तो अगर आप निपटारा चाहते हैं तो माननीय नेता विरोधी दल को, और लोगों को और सरकार को जो चलाने वाले हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनको बुला लीजिये, सब लोग बैठें और सदैव के लिये यह तय हो जाय कि आप किस तरह से व्यवहार करेंगे, उपाध्यक्ष किस तरह से करेंगे और सरकार का क्या कर्त्तव्य होगा । अगर आप थोड़ा-सा भी निडर हो जायं और निडर होने के बाद हाउस में सरकार की परवाह न करें तो सदन बहुत अच्छा चलेगा, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप

इस सदन को स्थगित कर दें इस वक्त और सब नेताओं को बुलायें, ठाकुर हुकुमसिंह को बुला लें, विरोधी दल के नेता को बुला लें और सारी बातें हो जायं। तब तक के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, कल जो जो बातें यहां सदन के अन्दर हुई, जो वातावरण हुआ, वह सब देखने के बाद, और आज भी सुबह जब मैं उठा तो कांग्रेस पक्ष के लोगों का जो बर्ताव रहा वह देखने के बाद, मैं कुर्सी को तो आक्षेप नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसकी सारी जिम्मेदारी श्रीमन् पर और माननीय उपाध्यक्ष महोदय पर है। वह इसलिये कि जो लड़ाई कल शुरू हुई वह सिर्फ यह थी कि भाषा विधेयक जो है वह बिजनेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया और उससे पास होकर वह चीज यहां नहीं आयी। यही सारे झगड़े की बुनियाद है, इसी के लिये सारी लड़ाई अपोजीशन की थी कि यह पहले वहां जाय और उसके बाद जो तय हो उसी के मुताबिक सदन चलें। शुरू से आखीर तक यही लड़ाई रही। तो एक तरफ तो उपनेता सदन हमको यह सिखाते हैं और सदस्य भी कि नियमों का पालन करना चाहिये, लेकिन पालन करने का अधिकार श्रीमन् को है। अगर श्रीमन् चाहते हैं कि पालन न हो तो विरोधी पक्ष और कांग्रेस पक्ष दोनों मजबूर हैं। मैं देख रहा हूं श्रीमन्, शुरू से आखीर तक जितने भी प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाये जाते हैं, हम लोगों के मुंह से एक बात निकली और फौरन डेसीजन हो जाता है कि रिजेक्टेड। बात चाहे कुछ भी हो, हम लोगों ने देखा, केशव सिंह के केस को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गये। वहां भी जब बहस शुरू हुई उस वक्त हमारे वकील ने साफ कह दिया शुरू में ही कि अपने प्रिविलेजेज और इम्यूनिटीज को हम सरेंडर नहीं कर सकते। तो श्रीमन्, यह रूल्स आफ प्रोसीजर बना हुआ है। हम भी चाहते हैं कि रूल्स आफ प्रोसीजर के मुताबिक कार्य हो उसमें कोई भी किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिये। इसलिये श्रीमन्, अगर ईमानदारी से यह चाहते हैं कि रूल्स आफ प्रोसीजर को एडाप्ट करें, उसके अनुसार यहां का वातावरण और आचरण रहे, तो सबसे पहली ड्यूटी श्रीमन् की होती है कि आप यह देखें कि कार्य मन्त्रणा समिति के जरिये उस बात को तय होना चाहिये। जहां तक इस सदन के अन्दर के कार्यों का संबंध है, यह हम लोगों ने देखा कि शुरू में २७ तारीख को जब सदन बुलाया गया उसके बीच में और १७ तारीख को जब बुलाया गया, उसके बीच में कोई भी मीटिंग कार्य-मंत्रणा समिति की नहीं हुई और न उसमें कोई बात तय हुई कि किस तरीके से सदन का कार्य चलेगा। सदन में आजकल तो डिक्टेटरशिप के तरीके से आदेश दे दिया जाता है कि इस वीक में इस प्रकार से काम चलेगा, इस तरह से कार्यक्रम होगा। अगर इसी तरीके से काम चलाना था तो फिर कार्य मंत्रणा समिति की क्या आवश्यकता थी ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहस तो कल हो चुकी है।

श्री कमलासिंह यादव—

बहस का सवाल नहीं है, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी किस पर है ? कोई भी काम हो, कार्य मंत्रणा समिति बनी हुई है, उसके सामने आप उसको ले जाइये। उसके बाद भी अगर हम अड़ंगा लगायें तो ठीक है।

दूसरी चीज भाषा विधेयक के बारे में है। उसके बारे में भी हमारी ओर से कानून की और संविधान की बात कही गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप तो कल की बात को रिपीट करना चाहते हैं। संविधान और कार्यमंत्रणा समिति की बात तो कल कही जा चुकी है। उसको दुबारा कहने से क्या फायदा है ?

श्री कमलासिंह यादव—

झगड़ें की बुनियाद तो यही है।

श्री अध्यक्ष—

जो बात आप कह रहे हैं, वह कल कही जा चुकी है। इसका मतलब तो यह होगा कि मैं फिर कल की अपनी रूलिंग को रिपीट करूं और आपको बतलाऊं कि किस तरीके से मैं सही था और कहां तक आप सही थे।

श्री कमलासिंह यादव—

यदि आप सदन को ठीक तरीके से चलाना चाहते हैं तो इसको स्थगित कर दीजिये और दोनों ओर के नेताओं को बुलाकर बात कर लें, फिर कार्यमंत्रणा समिति के सामने कार्य को भेंज दें, उसके बाद हम कार्य करें, तब कार्य सुचारु रूप से चलेगा। अगर आप डिक्टेटर-शिप से शासन करना चाहते हैं तो वह मुश्किल होगा। कोई भी अपोजिशन का सदस्य आपकी इस बात को बरदाश्त न करेगा।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, गत एक सप्ताह से जो दुर्घटना इस सदन के अन्दर हो रही है उससे सभी लोगों को बहुत दुख है। कल भी जो दुर्घटना हुई वह भी इस विधान सभा के इतिहास में ही नहीं बल्कि सब बाहर की विधान सभाओं के इतिहास में, पहली दुर्घटना है। मुझे निवेदन यह करना है कि मैं विरोधी दल के उस कार्य का समर्थन हरगिज नहीं कर सकता जिसमें वे एक साथ खड़े होकर यह कहें कि हम सदन को नहीं चलने देंगे। यह चीज जनतंत्र के विरुद्ध है। प्रजातंत्र की रक्षा की सब से बड़ी जिम्मेदारी विरोधी दलों पर है। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा और इस सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसका भी समर्थन मैं करने को तैयार नहीं हूं। कल की घटना के समय मैं सारे दिन हाजिर था और जिस रोज भाषा विधेयक पेश हुआ था, उस रोज भी सारे दिन हाजिर रहा। यह भाषा विधेयक इस प्रदेश के लोगों की बहुत बड़ी भावनाओं से सम्बन्ध रखता है। लेकिन जब कोई वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया जाता है तो उसको आप सुनते नहीं और जो विधेयक पास नहीं होता उसको यहां पढ़ा हुआ और पास हुआ लिखा देते हैं। पेश न हो, पास न हो और पास हुआ लिखा दें, यह कैसी जनतंत्र की रक्षा है ?

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस भाषा विधेयक को, यद्यपि यह इस सदन में कहने की बात नहीं है, कांग्रेस दल की पार्टी के अन्दर भी नहीं लाया गया। इस तरह के विधेयक को आप इस तरह से पास करा दें, उसकी सब से बड़ी जिम्मेदारी न सरकार की है और न विरोधी दलों की, आपकी है। आप को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिये। इस सब का मूल कारण मैं यह समझता हूं और इस विषय में मैं आपकी व्यवस्था भी चाहूंगा कि विधेयक जिस रोज पेश हुआ उस रोज श्री राधे श्याम शर्मा ने उपाध्यक्ष महोदय से केवल आपके निर्णय पर व्यवस्था चाही थी। लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं पिछली कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं जानता। कल भी सारी बुनियाद आपकी व्यवस्था के बारे में ही थी, उसके बारे में एक वैधानिक प्रश्न था। इस सब की आपको व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि सदन के चलाने की विशेष जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन यह कहां की जिम्मेदारी है कि जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल माननीय सदस्य एक-एक मिनट के लिये निकाले जा रहे थे तो हमारी पार्टी के एक माननीय सदस्य श्री बैजनाथसिंह जी जाकर उपाध्यक्ष महोदय को नाम बताते थे।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

यह बिलकुल गलत और झूठ है, ये बहुत दिनों से उधर की एजेन्टी कर रहे हैं। ये सिर्फ कहने के लिये इधर बैठे हुए हैं, लेकिन हैं वहीं . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बाद में कह लेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल—

इस सदन का काम उस वक्त तक सही नहीं चल सकता, जब तक कि आप और आपके बाद में उस कुर्सी पर बैठने वाले लोग निष्पक्ष न होंगे। जब किसी सरकार या किसी विरोधी दल के दबाव में न आयेंगे तभी यह सदन सही तरीके से चल सकता है। मैं बहुत विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है जिसका सम्बन्ध केवल इस सदन से ही नहीं है बल्कि सारे देश से संबंधित मामला है, इसलिये भाषा विधेयक पर खुले तौर से विचार होना चाहिये और खुले तौर पर विचार करके फिर आप इस विधेयक को पास करें। जब तक आप इस विधेयक पर पुनः विचार इस विधान सभा में नहीं कराते, तब तक इस सदन का वातावरण सही होना मुझे बहुत मुश्किल मालूम होता है। विरोधी दल के लोगों ने कहा कि सदन को स्थगित कर दिया जाय। अगर एक दिन सदन बन्द रहेगा तो उससे कुछ बिगड़ नहीं जायेगा, लेकिन बिना पेश किये हुए, बिना बहस किये हुए और बिना वोटिंग के किसी विधेयक को पास कर देना, यह जनतंत्र विरोधी कार्य है।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य —

श्रीमन्, मेरा नाम लिया गया, इसलिये मैं भी एक मिनट कह लूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने एक ऐसा वातावरण बनाया था जिससे हम लोगों को यह उम्मीद हो गयी थी कि अब शान्ति स्थापित हो जायगी और एक अच्छी बात पैदा हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने भाई विकल जी से कहना चाहता हूं कि जिस वक्त सदन में शोर मच रहा था, हमारे माननीय उपनेता सदन को तथा माननीय बनारसी दास को उन लोगों के नाम सुनने में बड़ी परेशानी हो रही थी जिनको इंगित किया जा रहा था। मैं उन लोगों के पास ही पीछे की तरफ बैठा हुआ था और माननीय बनारसी दास जी मुझसे कहते थे कि पूछ कर बतलाओ कि किसका नाम इंगित किया गया इसलिये ५–६ बार मैं दौड़ दौड़ कर उपाध्यक्ष महोदय के पास गया, यह बात सही है और उनसे पूछ कर बतलाता रहा कि किसको इंगित किया गया है। (व्यवधान)

यह बिलकुल सही है। आपके द्वारा मैं माननीय विकल जी से कहना चाहता हूं कि वे जानबूझ कर ऐसा वातावरण बनाये रखना चाहते हैं जिस से सदन में शान्ति न हो। उन्होंने तो अपनी एक धारणा बना रखी है और उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया है कि इधर बैठ कर वे कुछ कर नहीं सकते। उनको चाहिये कि अब वे उधर ही जाकर बैठें . . . . . .

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

व्यक्तिगत आरोप न होने चाहिये ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

आज तक उनके जितने भी भाषण हुए हैं, उनको निकलवा कर देख लिया जाय, उससे मालूम हो जायगा कि मेरे कथन में कहां तक सच्चाई है ।

श्री कमलासिंह यादव--

मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है.....

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

कल की घटना से मुझे बहुत दुःख है और जैसा कि माननीय भानुप्रतापसिंह ने कहा है कुछ देर के लिये आप सदन को स्थगित कर दें और सब लोग आपस में बैठकर बातचीत कर लें, जिससे सदन का वातावरण शान्त हो जाय। लेकिन अगर श्री नेकराम शर्मा व विकल जी की चलेगी तो शान्ति नहीं स्थापित हो सकेगी, क्योंकि उसके बाद वे लोग बेकार हो जायेंगे। इनका तो काम ही केवल यह है कि यहां के वातावरण को अशांत बनाये रखें।

श्री बांकेलाल--

अध्यक्ष महोदय, आपको कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे सदन का वातावरण सन्तोष-जनक हो जाय। दूसरी बात यह है कि जितने लोग निलम्बित किये गये हैं.....

श्री अध्यक्ष--

अब मैं अपना निर्णय दे दूं, बहुत बहस हो गयी।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सारी बातों को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता था कि कौन इंगित किया गया और जब सुनाई ही नहीं पड़ता था तो कैसे और कब इंगित का प्रस्ताव हो गया और कब सदन में वोटिंग हो गयी ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, अब मैं निवेदन कर दूं। मैं उन आदरणीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने मेरे कर्त्तव्यों के प्रति मेरा ध्यान आकृष्ट किया और जो उन्होंने आशायें व्यक्त कीं कि इस पीठ पर आसीन व्यक्ति से निष्पक्षतापूर्ण निर्णय होने चाहिये। माननीय नेकराम शर्मा ने कहा कि मुझे निडर होना चाहिये एवं माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि जो रूल्स हैं, विधान और विधियां हैं उनका मुझे पूरी तरह पालन करना चाहिये। निडर का मतलब यह है कि मुझे ऐसा निडर होना चाहिये कि न मुझे इनका (सरकारी पक्ष का) भय हो और न उनका (विरोधी पक्ष का) भय हो। निडर का मतलब यह है कि मैं किसी दल विशेष से भयभीत होकर अपने विचारों को इस समय इस सदन में प्रस्तुत न करूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब आप हमारे निर्णयों को तौलें, उस तरह से नहीं जिस तरह से माननीय नेकराम शर्मा या माननीय कमलासिंह तौलते हैं, यदि उसी तरह से तौलियेगा, तो मैं हारूंगा अवश्य। इसलिये कि मेरा निर्णय किसी न किसी पक्ष के विरुद्ध अवश्य होगा। चाहे इनके (सरकारी पक्ष) के विरुद्ध हो या उनके (विरोधी पक्ष के)। अगर वह अपने ही तराजू पर मुझे तौलेंगे तो मैं फेल हूंगा। प्रश्न यह है कि मेरा निर्णय चाहे सही हो या गलत, क्या ईमानदारी के साथ मेरा फैसला हुआ है या नहीं। मैंने कल निवेदन किया कि जहां तक संविधान का प्रश्न है, मेरे पास एडवोकेट जनरल का मत मौजूद है उस मत का मैं

आदर करता हूं और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं, मैंने यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि इसमें दो निर्वाचन की गुंजाइश हो। हो सकता है इसमें दो रायें हों। लेकिन जहां पर दो रायें हो जाती हैं वहां पर अध्यक्ष का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह कानूनी पंडित और जज न बनकर अपने निर्णय से सदन का काम स्वतंत्रता से चलने दे। विधान मंडलों और विधान सभाओं के आप एक नहीं अनेक निर्णय पायेंगे, जहां पर यह निर्णय लिया जा चुका है कि जहां पर संदिग्ध प्रश्न हो, बिलकुल स्पष्ट प्रश्न न हो, वहां पर ऐसे प्रश्नों को अदालत पर छोड़ देना चाहिये। मैंने एडवोकेट जनरल से अपनी सहमति प्रकट की। उस प्रश्न के अध्ययन करने के बाद मैंने अनुभव किया कि ऐसा प्रश्न उठ सकता है, तो इसलिये मैंने एडवोकेट जनरल का मत प्राप्त किया और आपको बताया। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि आपने इस प्रकार की रूलिंग दी जो गलत है, ठीक नहीं है। यदि जब आपके मतानुकूल मेरा निर्णय हो तब ही सही है, तब ही ठीक है, अन्यथा नहीं—यदि इस भावना से आप मेरे निर्णय को देखियेगा, तो मैं विवश हूं और मैं जरूर गलत आपकी निगाह में रहूंगा। अब बात है "कार्यमंत्रणा समिति" की। मैंने कल कार्यमंत्रणा समिति से सम्बन्धित नियमों को आपके सामने पढ़ा था और उनको पढ़ने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मैंने जो कुछ विचार प्रकट किया है और जो कुछ भी मैंने कहा है ठीक है। आप जानते हैं कि अध्यक्ष जो विधान सभा का होता है उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। माननीय झारखण्डे राय ठीक कहते हैं और मैं अनुभव करता हूं कि वह ठीक है, जो बातें माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने आपके सामने कही हैं वह भी ठीक हैं, उससे भी मैं सहमत हूं। प्रत्येक व्यक्ति का और मेरा विशेष रूप से यह कर्त्तव्य है कि प्रजातन्त्रीय प्रणालियों को मैं जीवित और जाग्रत रखने का प्रयत्न करूं। यह मैं अच्छी तरह से समझता हूं और अब मैं यह आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या आप मुझे उन्हीं प्रणालियों को जीवित और सुरक्षित रखने में मेरी सहायता करेंगे ?

एक सदस्य—

हां।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानता हूं कि आपने "हां" कह दिया। २८ तारीख को जब हम मिले थे तो उस समय हमारे सामने प्रश्न था खाद्य समस्या का, लेकिन क्या यह सही तरीका था कि जो सदन में बरता गया ? सब लोग खड़े हो गये और कहा कि सदन का कार्य नहीं चलने देंगे। क्या ऐसा कोई नियम है कि जिसके अन्तर्गत ऐसा हो सकता है ? जब मैंने माननीय उग्रसेन जी से यह प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि नियम कुछ नहीं, वर्तमान परिस्थितियों में सब नियम समाप्त कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप इस आशय का प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नियमों का पालन हो तो हमारा आपका दोनों का कर्त्तव्य है कि हम उसमें एक दूसरे के सहायक बनें। अगर आप का सहयोग नहीं मिलता तो मैं मजबूर हो जाता हूं। अन्ततोगत्वा आप को किसी को तो मानना होगा, कोई तो व्यक्ति होगा जो निर्णय देगा, जो प्रश्न उठेंगे या व्यवस्था के प्रश्न आयेंगे उनके निर्णय करने का काम आपको किसी एक व्यक्ति के ऊपर तो छोड़ना ही होगा। मैं निर्णय देता हूं अगर आपको कोई आशंका होती है तो मैं कह चुका हूं कि आप मेरे पास आ सकते हैं और मेरे हर निर्णय के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं और अगर मेरा निर्णय गलत होगा, तो मैं उसको बदलने तक के लिये तैयार हूं, लेकिन केवल यह कह देना कि आपका निर्णय गलत है उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मैं यहां निर्णयों के कारणों को कहां तक बता सकता हूं, आप मेरे पास आइये, मुझे समझा दीजिये, ४ आदमी बैठ जायं, इसीलिये मैंने पार्लियामेन्टरी ग्रुप बना रखा है, अगर कोई चीज बहस की समझने की है तो बैठकर उसको समझ लें।

[श्री अध्यक्ष]

इसके बाद यानी २८ के बाद फिर ७ अगस्त को विकल जी कहते हैं कि भाषा विधेयक पुरःस्थापित नहीं हुआ। मैं विकल जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही तरीका था कि भाषा विधेयक पुरःस्थापित करने के पहले ही माननीय काशीनाथ जी ने इस सदन में एक आपत्ति उठा दी। मैंने उस पर कहा कि पुरःस्थापन तो हो जाने दीजिये, अनुज्ञा का प्रस्ताव तो आने दीजिये तब आपत्ति हो सकती है जब पुरः स्थापन हो जाय। माननीय श्रीपाल जी और काशीनाथ जी खड़े हुए। आप हिन्दी के या अंग्रेजी के नियमों को देखें उसमें साफ दिया है कि एक ही व्यक्ति जो आपत्ति करना चाहता है कि पुरःस्थापन की अनुज्ञा न दी जाय, बोल सकता है यह अंग्रेजी में स्पष्ट है और हिन्दी में भी उसका वही अर्थ है। लेकिन सब खड़े हो गये और कहा गया कि १७० सदस्य बोलगे। इस तरह से नियमों का निर्वचन व पालन कैसे हो? आप चाहते हैं कि जो कुछ हो, आप की इच्छा के अनुसार हो, तो यह गलत बात है। मैं चाहता हूं और हृदय से चाहता हूं और प्रयत्न करता हूं कि अपोजीशन के अधिकारों का संरक्षण हो। अगर यह नहीं होता, उनका आदर, सम्मान सदन में नहीं होता और नेता विरोधी दल का आदर नेता सदन की भांति नहीं होता, तो हम लोकतन्त्र की परम्पराओं को यहां सुरक्षित नहीं रख सकते। हमारा सबका कर्त्तव्य है कि उनके अधिकारों का संरक्षण हो जिससे यहां लोकतांत्रिक पद्धति प्रफुल्लित हो। यद्यपि माननीय काशीनाथ जी का बोलना ही पर्याप्त था, लेकिन चूंकि माननीय श्रीपाल सिंह खड़े हो गये और काशीनाथ जी पहले से बोल रहे थे इसलिये मैंने दोनों को अवसर दे दिया। लेकिन उसके बाद शोरगुल में यह आग्रह करना कि १७० को सुना जाय, कैसे हो सकता था, नियमों को भंग किया जाता तभी ऐसा हो सकता था और नियमों को भंग करने का कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता था और आप सुनने को तैयार नहीं। अगर एक विशेष समुदाय या दल चाहता है कि सदन का काम बन्द कर दिया जाय और उनका आग्रह माना जाय तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे उत्तर प्रदेश का शासन एक दल के हाथ में छोड़ दिया जाय। परन्तु यह एक ऐसी बात है कि जिसको कोई भी माननीय सदस्य मानने को तैयार न होगा। इस सम्बन्ध में जिस बात को आप स्वयं नहीं मानते। क्या उसको आप चाहेंगे कि मैं मान लूं? यह कहना कि पुरःस्थापन नहीं हुआ, कहां तक ठीक है, मैंने मंत्री जी को बुलाया और उन्होंने खड़े होकर पुरःस्थापित किया और वह कहते हैं कि नहीं हुआ। तो कहीं गलती होगी। अब किसकी गलती है, आप बैठे हुये हैं, समझें, मेरे पास किसी ने नहीं कहलाया कि पुरःस्थापन नहीं हुआ, आप (श्री रामचन्द्र विकल) अलबत्ता कह रहे हैं। माननीय श्रीपाल सिंह ने एक शिकायत की कि वह कह रहे थे कि "नहीं" की संख्या अधिक है, डिवीजन चाहते हैं। मैंने उत्तर में कहा कि शोर में नहीं सुन सका और मैं समझा था कि आप विरोध कर रहे हैं। मैं सहमत हूं कि हमें इस बात से खुशी नहीं होनी चाहिये, खुशी नहीं हो सकती और भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखें कि जो ऐसा विवादग्रस्त विधेयक हो उसको हम चुटकियों में पास न कर लें। वह हमारे लिये शोभाजनक नहीं है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब एक बात हो गई, हम समझते हैं कि उस वातावरण में क्या हो ही सकता था? मैं तो, कदाचित् आदरणीय सदस्यों से जो उसका विरोध कर रहे थे उनसे प्रार्थना करता कि चले जायें या सदन छोड़ दें या कुछ और करें। बहरहाल मैं मानता हूं कि हमारी लोकतंत्रीय पद्धतियां और प्रणालियां सम्पुष्ट नहीं हो सकतीं अगर हम शोर गुल मचाते चले जायेंगे। लेकिन आप से निवेदन है कि आप भी ऐसा अवसर न प्रस्तुत कीजिये, जिसमें हम भी मजबूर हो जायं और सरकार भी महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करा ले। आपका भी कर्तव्य है कि ऐसा अवसर न आने दीजिये।

जो सुझाव है कि आदरणीय नेताओं को बुलाकर बातचीत करें, मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं उनको अवश्य बुलाऊंगा और आज सायंकाल बैठ जायेंगे तथा बातचीत कर लेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—

यह प्रस्ताव था कि इस समय सदन स्थगित कर दिया जाय और बात पहले हो जाय तब मीट कीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह एक ऐसी चीज है जो आवश्यक नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा—

आवश्यक है, क्योंकि २८ आदमी बाहर हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं बातचीत कर लूंगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है ।

श्री झारखण्डेराय—

श्रीमन्, मुझे दुख है कि आपने मेरी भावनाओं का उतना आदर नहीं किया जो आप से अपेक्षा थी । इस माने में कि सब ने स्वीकार किया कि सदन इस समय मुल्तवी हो जाय कुछ देर के लिये तो कोई बुरी बात नहीं है । माननीय भानु प्रतापसिंह जी, जो कल नहीं थे, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की । मैं समझता हूं आप पुनः विचार करें और थोड़े समय के लिये सदन मुल्तवी करके आप अपने यहां मीटिंग बुला लें तो इस से वातावरण शान्त होगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उपनेता सदन, आपको स्वीकार है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो घटना हुई उस से सब से ज्यादा दुख हमको है और इस में कोई संदेह नहीं कि जनतंत्र प्रणाली के लिये लज्जा की बात है । मैं माननीय भानुप्रताप सिंह का आभारी हूं और मुझे यकीन है कि यदि वह और नेता विरोधी दल होते तो कल के वातावरण को रोकने में सहायक होते । लेकिन जहां तक विधेयक का सवाल है, मैं अध्यक्ष महोदय की रूलिंग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, जब कि प्रक्रिया नियमावली की धारा २५ के अनुसार कार्यक्रम बताया तो मैंने स्वयं कहा कि १, २ दिन जब तक चाहें विधेयक पर विचार कर सकते हैं । कोई समय निश्चित नहीं है, आपको पूरा अधिकार है । यह आप जब तक कार्यमंत्रणा समिति निर्धारित नहीं करती, उस समय तक आप कर सकते हैं । विधेयक को जल्दी में पास करना कोई उचित बात नहीं है, लेकिन क्या किया जाय जब कोई भी रास्ता न हो । नेकराम जी ने ठीक कहा था कि सदन स्थगित किया जाय ताकि कोई रास्ता निकले । वर्ना तो सदन का समय इस प्रकार व्यर्थ जाय यह उचित नहीं है ।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है अगर हमारी तरफ से कोई भूल हुई है तो उसके लिये खेद प्रकट करने में मैं गौरव समझता हूं । इसमें मैं कोई बुजदिली भी नहीं समझता हूं और मैं यह एक मुनासिब परम्परा भी समझता हूं । इसके साथ-साथ मेरा यह भी यकीन है कि यदि उस तरफ के बैठने वाले कुछ लोग रेनसम के लिये उतारू हो जायं और सब एक साथ हो जायं तो यह प्रान्त के हित में नहीं है, न जनतंत्र की परम्पराओं के हित में है और न विरोधी पक्ष की मान-मर्यादाओं के अनुकूल है । बड़ी खुशी की चीज है कि कोई रास्ता निकालें । मैं समझता हूं कि यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से ११ से १२ का समय रख दिया जाय सरकार को गालियां सुनाने को तो हम तैयार हैं, लेकिन उस एक घंटे के समय के बाद तो कार्य सुचारू रूप से हो तो इसलिये अगर

[श्री बनारसीदास]

आप उचित समझें तो १२ से १ बजे का समय रख दें गालियां देने का, लेकिन कम से कम ४ घंटे का तो समय मिले। हमारे ऊपर लांछन लगाया जाता है कि हम समाजवादी नहीं हैं, हम टैक्स पेयर्स का रुपया बरबाद करते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे एक शेर अकबर इलाहाबादी की याद आयी कि "लीडर को कौम का गम तो है लेकिन आराम के साथ"। मुझे याद है कि पब्लिक सेफ्टी बिल जो १९२८ में आया तो उस समय मोतीलाल व मदन मोहन मालवीय जी ने उसका १७-१७ घंटे तक विरोध किया। उन्होंने इस कानून को काला कानून बताया। मैं आशा करता था कि इस विधेयक (भाषा सम्बन्धी) पर २-३ दिन बहस चलती। यदि हम किसी तरह से इस बहस में बाधक होते तो बात थी। अगर इस विधेयक पर ४ दिन का समय चाहते तो ४ दिन दिया जाता, लेकिन अगर इस तरह विरोध करने की नयी टैक्नीक डेवलप हुयी हो तो यह बड़े दुख की बात है। कहा गया कि इसमें विभाजन नहीं हो सका। हमारे एक निष्पक्ष माननीय सदस्य श्री विकल जी ने तो यहां तक कहा कि इसका पुरः स्थापन भी नहीं हुआ। बड़ी अच्छी चीज है यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से, आसानी से लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। इस सदन का कार्य एक-एक घंटे रुक जाता है। तो मैं तो माननीय नेता विरोधी दल श्री शारदा भक्त सिंह जी से नम्रता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे कुछ दिन सदन में बैठें और देखें कि किस प्रकार नियमों का पालन हो। वे अपनी राय दें कि क्या करना चाहिये, लेकिन रनिंग कमेंटरीज होती हैं और यह भी चाहा जाता है कि उनकी मरजी के मुताबिक निर्णय हो, जवाब दिया जाय। मैं यह भी मान सकता हूं शायद इस कुर्सी पर आने के बाद मंद बुद्धि लोग हो जाते हैं और इस लिए अपोजीशन शायद उस मन्द बुद्धि को प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं करेगा। शायद उधर बैठने वाले यह समझते हैं कि जो गवर्नमेंट में बैठते हैं, उनमें कोई बुद्धि नहीं होती, कोई भावुकता नहीं होती, कोई हृदय नहीं होता तो यह चीज गलत है और अगर यह सही है तो शायद वे इधर आने का प्रयास नहीं करेंगे और उधर ही रह कर इधर के लोगों को सलाह देंगे।

मैं स्वागत करूंगा कि यह वातावरण रुकना चाहिये। जैसा २७ तारीख को हुआ, बलपूर्वक वह खड़े हो गये। कुछ व्यक्ति लाउड स्पीकर से ज्यादा जोर से बोलते हैं, जबरदस्ती चाहते हैं, स्पीकर उनका नाम ले। ४३० सदस्य हैं और जबरदस्ती किसी को बोलने का अवसर मिले तो किसी भी अध्यक्ष के लिये ऐसा करना असंभव हो जायगा। मैं स्वागत करूंगा कि नेताओं को बुलाकर माननीय अध्यक्ष बातें करें, लेकिन क्या उग्रसेन जी मानेंगे? कुछ और व्यक्ति हैं वे मानेंगे और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार वे चलेंगे अथवा नहीं? भाषण देने की स्वतंत्रता है और वह अपनी-अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। गाली देना है दीजिये, लांछन लगाना है लगाइये अथवा मेरिट पर बात कीजिये। हम इस बात के लिये भी तैयार हैं कि विधेयक पर केवल बहस हो कर मतदान हो जाया करे और केवल उसी पक्ष के लोग बोलें और इधर केवल मिनिस्टर जवाब दे दिया करें। आपकी तसल्ली जिसमें हो जाय हम उसे मानने को तैयार हैं। हम यह नहीं चाहते कि आपका सहयोग न मिले। हम चाहते हैं कि जो विधेयक प्रस्तुत हों उनका विवेचन हो, आपके मत का हमको लाभ मिले। इसलिये माननीया सुचेता जी ने प्रत्येक नेता को बुलाया और मैं समझता हूं कि यह अनुचित न होगा कि अलग-अलग प्रत्येक नेता ने आश्वासन दिया कि कोई चारा नहीं है सिवाय इस विधेयक को लाने के सीमित उद्देश्य है। जो पुराने विधेयक हैं अंग्रेजी में उनको संशोधन करने के लिये इसका लाना आवश्यक था। फिर लोक सभा ने इसे पास कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट ने भी आश्वासन दे दिया है। ऐसी स्थिति में हमारे पास चारा ही क्या था? अन्त में मैं माननीय नेता विरोधी दल से इस बात की गारंटी चाहूंगा कि वे लोग जो प्रक्रिया नियमावली के विरुद्ध आचरण करते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे और उनके लिये प्रक्रिया नियमावली ही पथ प्रदर्शक होगी, उसके विरुद्ध वे नहीं जायेंगे और वे अध्यक्ष महोदय का आदेश मानेंगे। हम सब लोग, सब दलों के नेता मिल कर अध्यक्ष महोदय के कमरे में इस पर विचार करें जिससे एक स्वस्थ परम्परा पैदा की जा सके।

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री से) वह यह चाहते हैं कि इस समय सदन स्थगित किया जाय, कुछ देर के लिये।

श्री बनारसीदास—

आप जैसा उचित समझें कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर ऐसी बात है तो औपचारिक बातें समाप्त हो जायं, उसके बाद हम उठ लेंगे।

इंडियन मिलिटरी एकेडेमी देहरादून, के समीप चीनी तथा देशी कारतूसों के मिलने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

हमारे पास एक कामरोको प्रस्ताव माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी का आया है। उसको मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है। वह इस प्रकार है कि—

"देहरादून स्थित इंडियन मिलिटरी एकेडेमी के समीप एक झाड़ी में ९५ चीनी कारतूसें तथा ४२ देशी कारतूसें बरामद हुई हैं। चीनी कारतूसें एकेडेमी तथा वन शोध संस्थान के बीच में मिली हैं।" मंत्री जी कब बयान देंगे ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, देहरादून से सूचना मंगानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि २२, २३ के बजाय २४ यदि कर दी जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

२४ तारीख को बयान होगा।

मुरादाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य के वितरण में अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय रियासत हुसैन और बांकेलाल जी की सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत आई है। वह इस प्रकार है कि—

"मुरादाबाद जिले के देहाती क्षेत्र की जनसंख्या लगभग १६ लाख है। खाद्य के इस संकट में सिर्फ ७५ सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं।" माननीय खाद्य मंत्री जी सोमवार को बयान देंगे।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन, विशेषाधिकार के प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया था कि मुख्य मंत्री जी से पूछ लूं।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, आपके कहने के अनुसार मैंने लिखित दे दिया और कापी मुख्य मंत्री जी को दे दी। नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इसलिये आप तय कर दें कि प्रिविलेज कमेटी को भेज दें।

श्री अध्यक्ष---

नहीं, नियम देखिये। इसमें यह है कि जिस सदस्य के विरुद्ध हो उस से अध्यक्ष जानकारी प्राप्त कर लें। मैं उनसे पूछ लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा---

आप कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

कल या परसों।

गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा श्री गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में परिगणित जाति के छात्रों के लिए सुरक्षित स्थानों की सुविधा समाप्त करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---

अध्यक्ष महोदय, मैं बयान देने के लिये तैयार हूं। लेकिन मैंने अखबार में देखा है कि किसी विद्यार्थी ने रिट पिटीशन हाईकोर्ट में कर दिया है।

श्री अध्यक्ष---

गवर्नमेंट का जो स्टैन्ड है वह तो आप बता सकेंगे। आपका जो स्टेटमेंट है वह तो फैक्चुअल है।

श्री दाऊदयाल खन्ना---

माननीय श्री मन्नालाल व श्री उग्रसेन ने जो नियम ५२ के अन्तर्गत मेरा ध्यान परिगणित जातियों के विद्यार्थियों के लिये के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज, कानपुर में एक निश्चित संख्या सुरक्षित रखने के लिये आकर्षित किया था, उस सम्बन्ध में ११ अगस्त को मैंने एक वक्तव्य माननीय सदन के सामने दिया था। मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय सदस्यों का अभिप्राय परिगणित जातियों से शेड्यूल्ड कास्ट के लिये है। आमतौर से शेड्यूल्ड कास्ट के लिये अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा ही "उत्तर प्रदेश प्रशासन शब्द कोष" में भी लिखा है। ११ अगस्त के वक्तव्य में परिगणित जाति व अनुसूचित जाति के शब्दों के प्रयोग से कुछ माननीय सदस्यों को गलतफहमी हो गयी थी। इसलिये उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिये मैं यह वक्तव्य माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। १९६२-६३ तक दोनों मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति (शेड्यूल्ड कास्ट) के विद्यार्थियों के दाखिले के लिये ४ स्थान सुरक्षित थे। १९६३-६४ में इन दोनों मेडिकल कालेजों में इन चार स्थानों को बढ़ाकर ११ स्थान सुरक्षित कर दिये गये थे। गवर्नमेंट की तरफ से इस सम्बन्ध में जो आदेश १९६३ में जारी हुआ था, उसमें इन ११ सुरक्षित स्थानों को शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित घोषित किया गया था। परन्तु १९६३-६४ में बैकवर्ड क्लास के लड़कों को लखनऊ व कानपुर मेडिकल कालेजों में भर्ती होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के आर्डीनेन्स में बैकवर्ड क्लास को भर्ती के लिये तब तक

कोई नियम नहीं था। इस वर्ष १९६४-६५ में लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने नियमों में बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों की भर्ती के लिये संशोधन कर दिया और उसके फलस्वरूप इस वर्ष जो ११ स्थान शेड्यूल्ड कास्ट व बैकवर्ड क्लास दोनों के लिये सुरक्षित थे, उसमें से १० स्थानों पर बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थी भर्ती कर लिये गये और अनुसूचित जाति का केवल एक विद्यार्थी भर्ती किया जा सका। यह स्थिति इसलिये उत्पन्न हो गई कि बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक अनुसूचित जाति (शेड्यूल्ड कास्ट) के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक थे।

अब ऐसा मालूम हुआ है कि अनुसूचित जाति (शेड्यूल्ड कास्ट) के ३ और विद्यार्थियों ने भी न्यूनतम अर्हकारी अंक (मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स) अर्थात् ३० प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं। परन्तु इन तीन विद्यार्थियों को भी इसी कारण नहीं भर्ती किया जा सका क्योंकि इन को बैकवर्ड क्लास के अन्य विद्यार्थियों से कम अंक प्राप्त हुये थे। इन को अब कानपुर मेडिकल कालेज में भर्ती करने की व्यवस्था की जा रही है, जहां तक अनुसूचित जाति (शेड्यूल्ड कास्ट) की २ छात्राओं की भर्ती का सम्बन्ध है, उनको इसलिये भर्ती नहीं किया जा सका है क्योंकि उन्होंने न्यूनतम अर्हकारी अंक (मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स) अर्थात् ३० प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किये हैं।

यहां पर यह भी कह देना आवश्यक है कि हमारी प्रान्तीय सरकार में बैकवर्ड क्लास के लिये किसी भी सेवा में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है। सन् १९६३ के आदेशों में जो बैकवर्ड क्लास का नाम जोड़ दिया गया था, उस पर भी सरकार विचार करेगी कि उसमें किस प्रकार से संशोधन किया जाय कि जिस से अनुसूचित जाति (शेड्यूल्ड कास्ट) के विद्यार्थियों के लिये जो सुविधायें प्राप्त थीं उनमें कोई कमी न आये।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन कालेजों में इस प्रकार का कोई आर्डर यह गवर्नमेंट देगी कि परिगणित जातियों के छात्रों के रहते हुये भी वह बैकवर्ड क्लासेज के छात्रों को मान्यता देंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह परिगणित जातियों को बैकवर्ड क्लास की परिभाषा में रखने की गलती किस अधिकारी की वजह से हुई, कैसे हुई और क्यों हुई?

श्री अध्यक्ष—

रिट एप्लीकेशन हाईकोर्ट में हो गयी इसलिये मैंने इस सम्बन्ध में यह कहा कि सरकार जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, वह हमारे सामने रख दे क्योंकि उसमें तो कोई बात छिपाने की नहीं रहती। रही यह बात कि यह गलती है उसके लिये जहां तक मैं सोचता हूं कि सन् १९५० के पहले जो परिगणित जाति थी वह सन् ५० के बाद शिड्यूल्ड कास्ट की हो गयी है। अब गलती जो हुयी, किस से हुई, वह माननीय मंत्री जी पर छोड़ दीजिये। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि जो परिगणित और बैकवर्ड का कन्फ्यूजन हो गया है, उसके लिये उन्होंने बतलाया कि नियम यह है कि ३० परसेन्ट जिस समय मिल जायेंगे वह ले लिये जायेंगे। बाकी रिट दाखिल हो गयी हैं, इस से अधिक उस पर कुछ कहना मुनासिब भी नहीं है।

श्री छत्रपति अम्बेश—

गलती के बारे में मंत्री जी पर छोड़ने का प्रश्न मेरा नहीं है। रिट का भी प्रश्न इस मेरी बात से बिलकुल अलग है। रिट तो एडमिशन के बारे में है। मेरा प्रश्न यह है कि जिन अधिकारियों ने परिगणित जातियों को बैकवर्ड में कन्वर्ट कर दिया .....

श्री दाऊदयाल खन्ना—

हमारे माननीय सदस्य को अब भी गलतफहमी हो रही है। परिगणित लोग बैकवर्ड नहीं बने। सन् १९६३ में एक जी० ओ० लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये ईशू हुआ था उसमें

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

परिगणित जाति और अनुसूचित कुछ नहीं लिखा था। उसमें यह था कि ४ की जगह ११ सीटें हो गयी थीं लिहाजा ११ सीटों पर बैकवर्ड और शिड्यूल्ड क्लास दोनों हकदार होंगे। यह एक जी० ओ० ईशू हो गया तो इस में परिगणित जाति और शिड्यूल्ड क्लास का सवाल नहीं है।

सवाल तो मैंने अर्ज किया कि सरकार यह महसूस करती है कि शिडयूल कास्ट की हक-तलफी हो गयी, क्योंकि एक सरकुलर जारी हो गया था। जब तक उस को अमेंड नहीं कर सकते वह चीज दूर नहीं होगी। उस के लिए आश्वासन दे दिया है कि हम उस को दूर करेंगे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

जो उनको अधिकार दिये गये थे, उनसे उनको वंचित क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

यह केवल वक्तव्य के लिए था। यह नियम ५२ में स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए इस में प्रश्नों का सवाल नहीं है। दिक्कत इस वजह से पैदा हुई कि मैं स्वयं इससे सन्तुष्ट नहीं था। इसलिए मैंने उनसे कहा था।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

हमारे संविधान ने जो सामाजिक दृष्टिकोण से और शिक्षा के दृष्टिकोण से जो वर्ग-पिछड़े हुये हैं, उस वर्ग के पिछड़ेपन को मद्देनजर रखते हुये विद्यार्थियों को भरती किया गया है या आर्थिक सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुये हैं, सवर्ण के विद्यार्थी, उनको भर्ती किया गया है।

श्री अध्यक्ष---

उनके पास इसकी डिटेल नहीं होगी।

सूचना

श्री अध्यक्ष---

मैं उठने से पहले यह सूचना दे दूं कि २ बजे मेरे कमरे में माननीय शारदाभक्त सिंह, माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी, माननीय भानुप्रतापसिंह, माननीय झारखण्डे राय, माननीय गयाप्रसाद, माननीय नेकराम शर्मा, माननीय बनारसीदास, माननीय हुकुमसिंह, माननीय राम मूर्ति, माननीय नवलकिशोर, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय श्यामलाल एकत्रित होंगे और तब बातचीत होगी।

अब हम उठते हैं और ३ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर ५१ मिनट पर, सदन स्थगित हुआ और ३ बजे उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की में कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कल ११ बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

मैं तो इसका विरोध करूंगा। स्थगित करने की कोई बात नहीं हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष--

रामर्मूति जी, आप को कुछ कहना है ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)--

जो निर्णय हुआ था उसके अनुसार सदन की भिन्न-भिन्न पार्टियों के लीडरान और सरकार के लोग बैठ कर सलाह मशविरा कर रहे थे। बहर हाल, कुछ बातें रास्ते पर आ गयी हैं और उम्मीद करता हूं कि हम एक अच्छा वातावरण सदन में कायम कर सकेंगे। लेकिन चूंकि समय थोड़ा ही था इस लिए पूरी बात समाप्त नहीं हो पायी है और अब अगर मेरे साथियों की ख्वाहिश है कि वह बात पूरी समाप्त हो जाय, और शायद इसी खयाल से नेकराम जी ने यह प्रस्ताव रखा है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसे मानने में।

श्री उपाध्यक्ष--

इस में किसी को एतराज तो नहीं है ? (किसी के आपत्ति न करने पर) तो अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१८ अगस्त, १९६४।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७७ पर)।

EXPRESS LETTER

FROM

SRI R. K. TALWAR,
SACHIVA,
UTTAR PRADESH SHASAN.

TO

THE COMMISSIONER,
.....DIVISION,
.....

No. 5581/XXIX-AF-RF- *Dated Lucknow, August* 4, 1964.

Subject : **Distribution of foodgrains through fair price shops.**

THIS is with reference to the Chief Secretary's wireless message no. WK-3183 A, dated August 1, 1964 regarding steps to be taken to tighten up distribution of foodgrains through fair price shops.

2. The supplies of foodgrains (wheat, *atta* and rice) through fair price shops in rural areas in each district should henceforth be restricted to the poorest section there. Lists of such persons should be drawn up immediately and identity cards issued to them.

3. Your division has been allotted as in the enclosed statement tonnes of imported wheat/*atta* and as in the enclosed statement M. tonnes of rice per month for rural areas. The district-wise quota may please be fixed within the divisional allocation according to the number of the poorest population in the rural area of each district and intimated to the Regional Food Controller concerned who will arrange supplies accordingly.

4. The distribution in the rural areas may be arranged within the monthly quota fixed for each district and if at any time the requisite quantity is not available, necessary adjustment in the quantum of issues may kindly be made as has been ordered for the towns. Proper receipt and distribution should be ensured on the same lines, as in the cities, so that there is no queuing or unfair distribution. Official and non-official supervising agencies may be set up for each shop.

5. The maximum scale of ration should henceforth be 6 kilograms per unit per month. The same scale will be applicable for supplies to urban areas.

6. The District Magistrates may be asked to call meetings of their Food Advisory Committees and draw up plans for distribution to the poorest sections in the rural areas on roughly the lines of the Basti Scheme (copy enclosed). You may then kindly visit each district and finalise these plans in consultation with the Food Advisory Committee.

7. The whole operation should be concluded in a week.

8. *Ad hoc* supplies should continue to be made to the rural areas till the new scheme has actually began working, to avoid starvation.

9. Please acknowledge receipt of this letter by wireless.

R. K. TALWAR,
Sachiva.

No. 5581(i)/XXIX-AF—RF—

[COPY forwarded for information and necessary action, to :

(1) District Magistrate, and
(2) Regional Food Controller,

By order,
R. K. TALWAR,
Sachiva.

(BASTI SCHEME)

PARTIAL RATIONING SCHEME FOR RURAL AREAS

There were 250 shops in the Rural areas. The monthly requirements of foodgrains to run these shops were 250×4×30=30,000 quintals. The arrivals were sporadic with a monthly average of about 12,000 quintals. The obvious result was that the weakest and most deserving were ousted by the strong and vociferous consumers' Supplies to the fair price shops were erratic and mostly depended on all kind of pressures applied.

With a view to ensuring regular supply of foodgrains to the weakest and most deserving sections of the rural population, a quick survey was made and landless labourers and very small cultivators were screened out. Elaborate methods were avoided. The poorest amongst the poor were isolated. This was done on block basis as this was managable administrative unit. About 1,000 families in each block have thus been picked out. The total number of units will be 5.000. The cards issued to these 1,000 families have been allotted to four shops in each block. The existing shops were selected which were most conveniently situated. The issues on the cards will be at 1 kg. per unit per week. Rations will be issued for a fortnight at a time. The following figures will give an idea of coverage :

32 blocks × 1,000 families=32,000 families—1,60,000 units.
7 per cent coverage on 1961 population—24 lacs. ..

Requirement of foodgrains per shop will be :

250 families=1,250 units needing 1,250 kg. per week

1,250 kg.×4=5,000 kg. per month×128 shops=6,400 quintals.
supplies to the shops will be made fortnightly.

This is only the first phase of the scheme. With the present supplies the coverage under this scheme cannot be extended. Out of the average supply of 12,000 quintals per month 5,000 quintals go to the urban population. The balance sufficient only for the first phase of the scheme described above.

The second phase of the scheme visualises doubling the coverage. The rock bottom requirement is 20,000 quintals per month. The allocation will be as follows :

5,000 quintals for Urban areas.

13,000 quintals for Partial Rationing Scheme.

2,000 quintals for marginal adjustments, for destitutes and really needy persons left over by mistake.

100 per cent accuracy in screening out the poorest amongst the poor is not claimed.

Statement showing division wise allotment of foodgraings for distribution through fair price shops in rural areas.

Serial number	Name of Division	Quantity of imported wheat/*atta* in tonnes	Quantity of rice in M. tonnes
		For rural area	
1	Meerut	1,450	200
2	Agra	1,250	150
3	Jhansi	650	150
4	Allahabad	2,850	100
5	Lucknow	3,100	200
6	Rohilkhand	3,000	150
7	Gorakhpur	6,000	2,000
8	Varanasi	4,500	2,000
9	Faizabad	5,600	650
10	Kumaun and Uttara Khand.. ..	1,600	2,000 (both for Urban and Rural area).
	Total ..	30,000	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८१ पर)

तालिका

१--श्री मुख्तार हुसेन।
२--श्री गुरुनाम सिंह।
३--श्रीमती लक्ष्मी देवी।
४--श्री ओम शंकर सेठ।
५--श्री बृजमोहन नारायन कौल।
६--श्री अब्दुल सलाम खां।
७--श्रीमती सूरज देवी श्रीवास्तवा।
८--श्री जगन्नाथ प्रसाद।
९--श्री हरी शंकर।
१०--श्री होरी लाल वर्मा।
११--श्री बाल कृष्ण खत्री।
१२--श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल।
१३--श्री सुरेन्द्र कुमार जैसवाल।
१४--श्री अब्दुल गफ्फार खां।
१५--श्री जगजीवन प्रसाद।
१६--श्री भागवत सिंह।
१७--श्री अताउल्ला खां।
१८--श्री अब्दुल अजीज।
१९--श्री डब्लू० एल० रौस।
२०--श्री आद्या शंकर श्रीवास्तव।
२१--सनातन धर्म हायर सेकेन्डरी स्कूल
२२--श्री इरशाद अली।
२३--श्री मोहम्मद सिद्दीक।
२४--श्री रामसरन अग्रवाल।
२५--श्री डी० आर० छबलानी।
२६--श्री गुरनाम सिंह।
२७--श्री मुहम्मद जहीर।
२८--श्री विश्वनाथ मिश्रा।
२९--श्री मुख्तार अली।
३०--सर्वश्री हिन्दुस्तान ट्रांसपोर्ट कं०।
३१--श्रीमती जुबेदा बेगम।
३२--श्री शाहिद अली सिद्दीकी।